अध्याय - III
आरटीई अधिनियम, 2009 का अनुपालन

3.1 अधिनियम का विकास

संविधान (86वां संशोधन) अधिनियम, 2002 जिसे राष्ट्रपति की सहमति दिसम्बर 2002 में प्राप्त हुई संविधान में निम्नलिखित परिवर्तन करने की मांग करता है:

I) मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21-क का सम्मिलन:

"राज्य 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जैसा कि राज्य, विधि द्वारा निर्धारित किया जा सकता हैं। ".

ii) राज्य नीति के नीति-निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 का प्रतिस्थापन :

"राज्य 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक सभी बच्चों के लिए आरंभिक बाल निगरानी एवं शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा।".

iii) मूल कर्त्तव्यों में अनुच्छेद 51-क में उपधारा (के) का सम्मिलन :

"ये भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य होगा- (के) माता-पिता या अभिभावक अपने 6 और 14 वर्ष के बीच के बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने के लिए या जैसा मामला हो"

इसके फलस्वरूप, संशोधन के छः वर्ष के बाद नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2008 प्रस्तावित हुआ। अधिनियम संसद के दोनों सदनों से एक वर्ष के बाद पारित हुआ और इसे अगस्त 2009 में राष्ट्रपति की "निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009" के रूप में सहमति प्राप्त हुई। यह अधिनियम जम्मू व कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इस प्रकार, आरटीई अधिनियम, अनुच्छेद 21-क परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है। इसे लागू होने में सात वर्षों से अधिक का समय लगा।

अधिनयम की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शाक्तियों के उपयोग में, केन्द्रीय सरकार ने बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली,

2010 (आरटीई नियमावली) तैयार की। आरटीई नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार, अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु केन्द्र सरकार, नियत तिथि के छः माह की अवधि के भीतर, यह सुनिश्चित करेगी कि प्रारंभिक शिक्षा हेतु इसके कार्यक्रम अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हैं। कार्यान्वयन हेतु एसएसए ढांचे को आरटीई की दृष्टि, योजना, मापदण्ड़ों तथा मानकों के अनुकूल मार्च 2011 में संशोधित किया गया है। संशोधित एसएसए ढांचा,जिसमें आरटीई के सभी प्रावधान शामिल है, पद्धतियों तथा कार्यान्वयन योजनाओं का एक विस्तृत ब्योरा प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत राज्य अपने विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक तथा संस्थानिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए अधिक विस्तृत दिशानिर्देश तैयार कर सकते हैं।

तत्पश्चात, आरटीई अधिनियम, 2009 को धार्मिक निर्देश प्रदान करने वाले मदरसों, वैदिक पाठशालाओं तथा शैक्षिक संस्थानों को अधिनियम की सीमा से बाहर रखने के लिए जुलाई 2012 में संशोधित किया गया था।

3.2 स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बच्चों के अभिलेखों का गैर-अनुरक्षण

आरटीई नियमावली के नियम 10 के अनुसार, स्थानीय प्राधिकरण अपने क्षेत्राधिकार में सभी बच्चों का एक घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से उनके 14 वर्ष के होने तक के अभिलेख का अनुरक्षण करेगा। अभिलेख का वार्षिक रूप से अद्यतन तथा लोक अधिकार क्षेत्र में अनुरक्षण किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2010-2016 के दौरान 14 राज्यों/यूटी में 14 वर्ष तक के बच्चों की सूचना को दर्ज तथा अद्यतन करने के लिय नियमित घरेलू सर्वेक्षण किए गए थे जबकि 21 राज्यों/यूटी[13] में ऐसे कोई सर्वेक्षण नहीं किए गए थे।

चूंकि, घरेलू सर्वेक्षण नहीं किए गए थे इसलिए अनिवार्य सूचना अर्थात् शून्य से 14 वर्ष के आयु वर्ग में बच्चों की संख्या; स्कूल जा रहे बच्चों, स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या आदि को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा दर्ज तथा वार्षिक अद्यतन नहीं किया गया है।

[13] अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह; आन्ध्र प्रदेश,अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक , केरल, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, पंजाब, सिक्किम तथा राजस्थान।

उपयोग किया जा रहा डाटा प्रक्षेपण भारत की जनगणना 2011 तथा 35 राज्यों/यूटी में फैले विद्यालयों से प्राप्त डाटा पर भी आधारित था। स्थानीय प्राधिकरणों के माध्यम से उपयुक्त सरकारों द्वारा नियमित अद्यतन के अभाव में नामांकित किए जाने वाले बच्चों के लक्षित समूह का निर्धारण तथा एमएचआरडी द्वारा किया विश्लेक्षण अनुमानों पर आधारित था, सत्यापन योग्य नहीं है।

2014-15 तथा 2015-16 के दौरान स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या (ओओएससी) के संबंध में उपलब्ध डाटा के चार सेटों अर्थात् राज्य सर्वेक्षण; यूडीआईएसई; एमएचआरडी सर्वेक्षण; तथा राज्य (एडब्ल्यूपीएवंबी) का तुलनात्मक विवरण, जैसा **परिशिष्ट- IV** में है, डाटा के सभी चारों सेटों के बेमेल होने को दर्शाता है। अतः, ओओएससी की संख्या के डाटा का संग्रहण/प्रक्षेपण की क्रियाविधि विश्वसनीय नहीं थी जिसने अधिनियम के कार्यान्वयन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

एमएचआरडी ने बताया (जनवरी 2017) कि उन्होंने ओओएससी की परिभाषा सहित सभी डाटा परिभाषा के मानकीकरण का कार्य एनयूईपीए को सौंपा था। तथापि, मंत्रालय ओओएससी के डाटा के किसी भी सेट को प्रमाणित करने में असमर्थ था।

एमएचआरडी ने बताया (मई 2017) कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेखित सभी 21 राज्यों तथा यूटी ने अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के यूटी को छोड़कर, अपने एडब्ल्यूपीएण्डबी 2017-18 में सूचित किया है कि घरेलू सर्वेक्षण 2016/2017 में किया गया है।

3.3 परिवहन सुविधा पर व्यय

आरटीई नियमावली का नियम 6(4) बताता है कि छोटी बस्तियों से आने वाले बच्चों, जैसाकि उपयुक्त सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पहचान की गई है, जहाँ आरटीई नियमावली के नियम 6(1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रतिवास के क्षेत्र अथवा सीमाओं के भीतर कोई विद्यालय मौजूद नहीं है, उपयुक्त सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण कथित नियम में विनिर्दिष्ट क्षेत्र अथवा सीमाओं की राहत में पर्याप्त प्रबंधन, जैसे कि एक विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने हेतु मुफ्त परिवहन तथा आवास सुविधाएं प्रदान करेगा।

एमएचआरडी ने प्रतिवास विद्यालयों की स्थापना हेतु 3 वर्षों की समयसीमा अर्थात, 31 मार्च 2013 नियत की थी। प्रतिवास विद्यालयों का अभाव/गैर-स्थापना छात्रों को प्रदत्त परिवहन सुविधा के प्रति भुगतान का कारण बनी। पांच राज्यों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां निम्नानुसार है:

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>राज्य</th><th>लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>आन्ध्र प्रदेश</td><td>2015-16 के दौरान राज्य की 49,803 बस्तियों में से 2189 बस्तियों के पास अपने प्रतिवास की निर्धारित सीमाओं के भीतर प्राथमिक विद्यालय नहीं थे तथा 2,242 बस्तियों उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बिना थीं।

जबकि विद्यालयों की, आरटीई नियमावली के अनुसार स्थापना नहीं की जा सकी थी, राज्य कार्यान्वयन प्राधिकरणों तथा जिला प्राधिकरणों ने 2011-16 के दौरान 59,270 छात्रों पर ₹9.66 करोड़ का व्यय करके परिवहन सुविधा प्रदान करने का दावा किया।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>गुजरात</td><td>राज्य सरकार ने, छूट प्रदान प्रतिमानों की एवज में प्रत्येक वर्ष बच्चों हेतु परिवहन सुविधा का प्रस्ताव किया जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया है:-

तालिका 11: परिवहन पर व्यय
<table><tr><th>वर्ष</th><th>परिवहन हेतु चयनित छात्र</th><th>छात्र जिन्हें परिवहन प्रदान किया गया</th><th>व्यय (₹ करोड़ में)</th></tr><tr><td>2012-13</td><td>51,653</td><td>44,944</td><td>11.16</td></tr><tr><td>2013-14</td><td>79,535</td><td>73,487</td><td>12.96</td></tr><tr><td>2014-15</td><td>79,508</td><td>86,128</td><td>21.15</td></tr><tr><td>2015-16</td><td>99,989</td><td>1,08,231</td><td>28.19</td></tr></table>स्रोत: राज्य परियोजना निदेशक (एसपीडी) द्वारा प्रदत्त आंकड़े</td></tr>
</table>

		तालिका स्पष्ट रूप से 2012-13 में 44,944 से 2015-16 में 1,08231 तक दोगुना परिवहन सुविधा की आवश्यकता को दर्शाती है, जो संकेत करती है कि सरकार ने सभी योग्य आवासों को प्रतिवास मापदंडों के अनुसार शामिल नहीं किया था, तथा इससे यह प्रभाव पड़ा कि परिवहन सुविधा पर अत्यधिक खर्च करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, पिछले तीन वर्षों के लिए, राज्य पीएबी को यह सूचित कर रहा था कि इसके सभी आवासों को प्रारंभिक तथा उच्च प्रारंभिक स्तर पर नियमित विद्यालयों द्वारा शामिल किया गया था, फिर भी यह परिवहन सुविधा प्रदान कर रहा था।
3.	मेघालय	पीएबी स्वीकृतियों के विपरीत, परिवहन भत्ता ईस्ट हिल्स जिले में पात्र बच्चों को कम अदा किया गया था। राज्य परियोजना निदेशक (एसपीडी) ने 271 बच्चों के लिए ₹8.13 लाख की योग्य राशि के प्रति केवल ₹6.50 लाख की जीआईए जारी की थी जिसका परिणाम ₹600/- प्रति व्यक्ति के परिवहन भत्ते के कम भुगतान में हुआ, जो कि कुल ₹1.63 लाख बनते हैं। तथापि, कम भुगतान के मामले को अंतिम निपटान हेतु जिला निगरानी समिति, ईस्ट खासी हिल्स द्वारा एसपीडी कार्यालय के साथ उठाया गया था।
4.	महाराष्ट्र	2014-15 में 17,874 बच्चे तथा 2015-16 में 14,087 बच्चे बिना विद्यालयों के 2216 दूरवर्ती आवासों में रह रहे थे। परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) ने परिवहन सुविधा को स्वीकृति इस शर्त के साथ दी थी कि राज्य सरकार परिवहन सुविधा हेतु पात्र निवासों को अधिसूचित करेगी। तथापि राज्य निवासों को अधिसूचित करने में विफल रहा।
5.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश में, 1,336 तथा 8,473 के बीच कम जनसंख्या वाले दूरवर्ती निवासों में रह रहे बच्चों के लिए 2012-16 के दौरान एडब्ल्यूपीएवंबी में

		परिवहन/मार्गरक्षण सुविधाओं को प्रति वर्ष प्रस्तावित किया गया था। इसके अतिरिक्त, 1403 तथा 9,792 के बीच के, शहर से वंचित बच्चों/शहरी क्षेत्रों में व्यस्यक संरक्षण के बिना बच्चों को भी परिवहन/मार्गरक्षण सुविधाएं प्रस्तावित की गई थी। तथापि, प्रस्ताव को पीएबी (2012-16) द्वारा इस टिप्पणी के साथ कि राज्य ने परिवहन के सीमा मापदण्डों को अधिसूचित नहीं किया था, स्वीकृत नहीं किया गया था। इस प्रकार, बच्चे अधिनियम के तहत अपने वैध अधिकार से वंचित रह गए।

एसएसए मानदंडों के अनुसार 3 वर्षों के भीतर विद्यालयों की स्थापना न होने के कारण परिवहन सुविधा पर निरंतर एवं अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

3.4 निवल नामांकन अनुपात[14] प्रवृति

अधिनियम की धारा 8(क) (i एवं ii) के अनुसार छः से चौदह वर्षों तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना; तथा प्रारंभिक शिक्षा के अनिवार्य दाखिले, उपस्थिति तथा समापन को सुनिश्चित करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। देश के निवल नामांकन अनुपात (एनईआर) को नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 12: 2012-16 के दौरान निवल नामांकन अनुपात

(आंकड़े प्रतिशत में)

वर्ष	निवल नामांकन अनुपात		
	प्राथमिक (कक्षा I - V)	उच्च प्राथमिक (कक्षा VI & VII)	माध्यमिक (कक्षा VIII - X)
2012-13	96.09	73.78	47.92
2013-14	90.41	72.54	46.86

[14] निवल नामांकन अनुपात = $\frac{\text{एक वर्ष टी में कक्षा I - VII आयु 6 से 14 में कुल नामांकन} * 100}{\text{वर्ष टी में 6 से 14 के आयु समूह के कुल जनसंख्या}}$

2014-15	87.41	72.48	48.46
2015-16	87.30	74.74	51.26

स्रोत: यूडीआईएसई डाटा

उपरोक्त तालिका प्रारंभिक कक्षाओं में निवल नामांकन अनुपात की वर्ष 2012-13 से 2015-16 में कम होती प्रवृति को दर्शाती है।

इसके आगे U-DISE डाटा के विश्लेषण में प्रकट होता है कि पुदुचेरी तथा आन्ध्र प्रदेश में प्राथमिक श्रेणी में क्रमश: 69.30 तथा 72.10 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक श्रेणी में 60.53 प्रतिशत के साथ वर्ष 2015-16 के लिए न्यूनतम निवल नामांकन अनुपात पाए गए थे।

चूंकि निवल नामांकन अनुपात केवल उन बच्चों से संबंधित है जो सरकारी विद्यालय आयु से विद्यालय आयु जनसंख्या के भीतर है इसलिए यह कभी 100 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। तथापि, यूडीआइएसई के अंतर्गत डाटा 100 प्रतिशत से अधिक दर्शाता है। उनपर **परिशिष्ट Vए-Vडी** में प्रकाश डाला गया है।

एमएचआरडी (जनवरी 2017) ने केन्द्र/राज्यों द्वारा डाटाबेस की गुणवत्ता को सुधारने हेतु अपनाए गए उपायों का स्पष्ट किया।

चूंकि छ: से 14 वर्षों के आयु समूह में सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करना उपयुक्त सरकार का दायित्व है इसलिए गलत एनईआर अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति पर संदेह उजागर करता है।

एमएचआरडी ने बताया (मई 2017) कि इसने यू-डीआईएसई के अंतर्गत एनयूईपीए द्वारा संग्रहित डाटा, विशेष तौर पर नामांकन तथा अवसंरचना पर, की गुणवत्ता तथा विश्वसनियता पर चिंताओं का समाधान करने हेतु 2016-17 के विद्यालय-वार डाटा की मौजूदा प्रणाली का उन्नयन करने का निर्णय लिया।

3.5 सरकारी प्रबंधन विद्यालयों में खराब अवधारण दर[15]

अधिनियम की धारा 8(एफ) तथा 9(ई) के अनुसार, उपयुक्त सरकार/स्थानीय प्राधिकरण प्रत्येक बच्चे द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के दाखिले, उपस्थिति तथा समापन को सुनिश्चित तथा निगरानी करेगा। वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 हेतु सभी प्रबंधन तथा सरकारी प्रबंधन विद्यालयों में अवधारण दरें नीचे दी गई है:

तालिका 13: 2014-16 के दौरान अवधारण अनुपात

(आंकड़े प्रतिशत में)

वर्ष	सभी प्रबंधन अवधारण दर		सरकारी प्रबंधन अवधारण दर	
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
2015-16	84.21	70.70	77.59	52.00
2014-15	83.74	67.38	73.75	48.46

सोत : यूडीआईएसई डाटा

उपरोक्त तालिका सभी प्रबंधन विद्यालयों की तुलना में सरकारी प्रबंधन विद्यालयों में खराब अवधारण दर को दर्शाता है। लेखापरीक्षा ने वर्ष 2015-16 हेतु मिजोरम में 36.07 प्रतिशत के साथ प्रारंभिक श्रेणी में तथा महाराष्ट्र में 14.61 प्रतिशत के साथ उच्च प्रारंभिक श्रेणी में न्यूनतम अवधारण दर पाई। इसके अतिरिक्त, यूडीआईएसई के अंतर्गत प्राप्त डाटा अपूर्ण था तथा सभी राज्यों के डाटा के बिना अधिक अवधारण दर को परिकलित किया गया था। उदाहरणार्थ, प्रारंभिक श्रेणी हेतु 2015-16 के लिए अवधारण दर को छः राज्यों (चण्ड़ीगढ़; दमन एवं दीव; दिल्ली; केरल; पुदुचेरी तथा तमिलनाडु) के डाटा के बिना परिकलित किया गया था।

तथापि, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हेतु किए गए प्रयासों के बावजूद अवधारण अनुपात आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन के छः वर्षों के पश्चात भी 100 प्रतिशत तक नहीं पहुंचा।

[15] वर्ष टी हेतु अवधारण दर + 4 (एसआर) = $\frac{\text{वर्ष टी में कक्षा V में नामांकन + 4 * 100}}{\text{वर्ष टी में कक्षा I में नामांकन}}$

यह दर्शाता है कि अधिनियम के कार्यान्वयन के छः वर्षों के बाद भी कक्षा I में भर्ती सभी बच्चों ने कक्षा VIII तक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं की थी।

3.6 अपूर्ण यूडीआईएसई ड्रापआउट[16] डाटा

चार वर्षों की अवधि (2012-13 से 2015-16) से संबंधित ड्रापआउट के यूडीआईएसई डाटा के विश्लेषण को नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 14: 2012-16 के दौरान ड्रापआउट दर

(आंकड़े प्रतिशत में)

वर्ष	प्राथमिक		उच्च प्राथमिक	
	सरकारी	निजी एवं अन्य	सरकारी	निजी एवं अन्य
2012-13	9.39	उ.न.	11.81	उ.न.
2013-14	4.86	4.39	19.60	5.45
2014-15	7.82	4.72	13.66	उ.न.
2015-16	5.10	2.60	11.73	उ.न.

स्रोत: यूडीआईएसई डाटा उ.न. = यूडीआईएसई में उपलब्ध नहीं

इसके आगे यूडीआईएसई के उच्चतम ड्रापआउट दर विश्लेषण में प्रकट होता है कि सरकारी प्रबंधन विद्यालयों के संबंध में वर्ष 2015-16 के लिए उच्चतम ड्रापआउट दर असम में प्रारंभिक श्रेणी जहां ड्रापआउट दर 18.52 प्रतिशत थी तथा महाराष्ट्र में उच्च प्राथमिक श्रेणी में 35.34 प्रतिशत के साथ पाई गई थी।

अवधारण दर के मामले के समान यूडीआईएसई के अंतर्गत ड्रॉपआउट के प्राप्त डाटा अपूर्ण है तथा कोई निष्कर्ष प्राप्त करना संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त, यूडीआईएसई के अंतर्गत प्राप्त ड्रापआउट दर अवधारण दर से मेल नहीं खाती है जो डाटा संकलन में कमियों को दर्शाता है।

3.7 एचआईवी प्रभावित बच्चों के प्रति भेदभाव

अधिनियम की धारा 9(ई) के अनुसार, प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण अपने क्षेत्राधिकार के भीतर रह रहे प्रत्येक बच्चे द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के दाखिले, उपस्थिति तथा समापन को सुनिश्चित तथा निगरानी करेगा। गोवा सर्वशिक्षा अभियान (जीएसएसए) तथा गोवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयेग

[16] ड्रापआउट वह व्यक्ति है जो अध्ययन के एक कार्यक्रम को उसकी समाप्ति से पहले छोड़ देता है

(जीएससीपीसीआर) में अभिलेखों की संवीक्षा ने उजागर किया कि विद्यालयों ने 13 एचआईवी प्रभावित बच्चों सहित 43 बच्चों के दाखिले से इंकार किया। बच्चों को फिर नए विद्यालय में दाखिला दिया गया था जो प्रथम विद्यालय से 10 किलोमीटर दूर था। तथापि, नए विद्यालय ने एचआईवी से प्रभावित बच्चों के प्रति भेदभाव किया तथा केवल अन्य बच्चों का नामांकन किया जो एचआईवी से प्रभावित नहीं थे। शेष 30 बच्चे जो एचआईवी+ नहीं थे, उन्हें वापस मूल स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके पश्चात, इन 13 एचआईवी प्रभावित बच्चों को अन्य विद्यालयों में दाखिल किया गया जो उनका प्रतिवास विद्यालय नहीं था।

जीएसएसए (अगस्त 2014) ने बच्चों के भेदभाव के तथ्य को स्वीकार किया।

3.8 विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) हेतु सुविधाएं

अधिनियम की धारा 3(2) विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के अध्याय 5 के साथ पठित, बताती है कि उपयुक्त सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरण को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक विकलांग बच्चे की एक उपयुक्त वातावरण में मुफ्त शिक्षा तक पहुंच हो तथा उन्हें छात्रों को सामान्य विद्यालयों में समन्वय प्रदान करने हेतु प्रयास करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, आरटीई नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार उपयुक्त सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण विकलांग बच्चों हेतु उन सुविधाओं को प्रदान करेगा जो कि इन बच्चों को विद्यालय तक पहुंचने, सुरक्षित उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा को पूरा करने से रोकती होंगी। सुविधाओं के प्रावधान से संबंधित नमूना जांच ने निम्नलिखित उजागर किया:

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	असम	पहचान किए गए 6,07,182 सीडब्ल्यूएसएन में से 5,16,169 (85 प्रतिशत) को विद्यालयों में नामांकित किया गया था तथा शेष (15 प्रतिशत) को गृह आधारित शिक्षा प्रदान की गई थी। 2010-15 के दौरान नामांकित सीडब्ल्यूएसएन को परिवहन भत्ता (टीए) प्रदान करने में कमी 66.27 प्रतिशत से 96.65 प्रतिशत के बीच थी।

		2015-16 के दौरान जीओआई से निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण कोई टीए प्रदान नहीं किया गया था।
2.	केरल	त्रिशुर तथा इडुक्की जिले में 60 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में, 42 से 79 सीडब्ल्यूएसएन 2010-11 से 2015-16 की अवधि के दौरान मुफ्त तथा सुरक्षित परिवहन के योग्य थे। तथापि, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान इनमें से किसी भी छात्र को मुफ्त एवं उपयुक्त परिवहन सुविधा प्रदान नहीं की गई थी। 2012-13 से 2015-16 की अवधि के दौरान केवल 1 से 6 छात्रों को परिवहन सुविधा प्रदान की गई थी।
3.	तमिलनाडु	2010-14 के दौरान पहचान किए गए 22,310 से 25,468 सीडब्ल्यूएसएन को परिवहन प्रदान नहीं किया गया था क्योंकि एसएसए द्वारा इस संघटक हेतु निधियां आबंटित नहीं की गई थी, जबकि विकलांग बच्चे समाविष्ट शिक्षा (आईईडी) के अतंर्गत निधियां आबंटित की गई थी। मार्च 2016 तक 20,588 सीडब्ल्यूएसएन को परिवहन प्रबंधन प्रदान नहीं किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, 'विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा' पर वित्तीय प्रबंधन एवं प्रापण नियम पुस्तिका में पैरा 35 के अनुसार, सहायक साधनों की आवश्यकता वाले सभी बच्चों को सहायता एवं उपकरण तथा भौतिक पहुंच, विशेष उपकरण जैसी सहयोगी सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए।

सीडब्ल्यूएसएन को प्रदत्त अन्य सुविधाओं की नमूना जांच ने निम्नलिखित उजागर किया:

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	उत्तर प्रदेश	समाविष्ट शिक्षा की योजना तथा कार्यान्वयन की नियमपुस्तिका के अनुसार हल्की विकलांगता (40 प्रतिशत से कम) से पीड़ित बच्चे सीडब्ल्यूएसएन को प्रदत्त लाभों के पात्र नहीं थे। 2010-16 के दौरान सीडब्ल्यूएसएन के रूप में दाखिल हुए 18.76 लाख बच्चे में से केवल 2.09 लाख बच्चों के पास विकलांगता प्रमाणपत्र था।

		तथापि, 16.67 लाख बच्चों, जिन्हें विकलांगता प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए थे, को भी सीडब्ल्यूएसएन के अंतर्गत लाभ प्रदान किए गए थे जो ₹256.49 करोड़ के अनियमित व्यय का कारण बना।
2.	गुजरात	2010-16 के दौरान 9,189 बच्चों को ब्रेल पुस्तकें प्रदान नहीं की गई थीं। एसपीडी ने बताया (सितम्बर 2016) कि पिछले दो वर्षों के दौरान ब्रेल पुस्तकें प्रदान नहीं की गई थीं क्योंकि ब्रेल पुस्तकों की स्वीकृत लागत वास्तविक लागत की तुलना में काफी कम थी तथा 2014-16 के दौरान ब्रेल पुस्तकों हेतु ऑनलाईन निविदा में कोई भागीदारी नहीं थी। तथापि एसपीडी का उत्तर इस पर मौन था कि क्यों सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए थे।
3.	तमिलनाडु	पांच नमूना जांच किए जिलों में उपकरण अर्थात् कैलिपर, कान की मशीन, व्हील चेयर तथा परिवहन प्रबंधनों के प्रावधान हेतु विकलांग बच्चे समाविष्ट शिक्षा (आईईडी) के अंतर्गत ₹35.75 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया गया था। जिसमें से ₹3.03 करोड़ का शेष छोड़ते हुए ₹32.72 करोड़ का उपयोग किया गया था। ₹3.03 करोड़ की सीमा तक निधियों का अंत शेष होने के बावजूद 7,049 विकलांग बच्चों में से 798 को पात्र उपकरण प्रदान नहीं किए गए थे।

विकलांग बच्चों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु योजना दिशानिर्देश में पर्याप्त प्रावधान के मौजूद होने के बावजूद अनियमिताएं अभी भी निरंतर है।

3.9 पूर्व-विद्यालय शिक्षा हेतु सुविधाएं

अधिनियम की धारा 11 स्पष्ट करती है कि तीन वर्षों की आयु से ऊपर के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा हेतु तैयार करने तथा सभी बच्चों को छः वर्ष की आयु को पूरा करने तक बचपन की देखभाल तथा शिक्षा प्रदान करने के दृष्टांत से उपयुक्त सरकार को ऐसे बच्चों को मुफ्त पूर्व-विद्यालय शिक्षा प्रदान करने हेतु आवश्यक प्रबंध करने चाहिए। अधिनियम का प्रावधान बाल अधिकार पर यूएन सम्मेलन (सितम्बर1990) अनुकूल भी है जिसके लिए भारत एक पक्ष है।

छ: वर्षों के व्यतीत होने जाने के बावजूद भी एमएचआरडी तीन से छ: वर्षों के बीच बच्चों हेतु पूर्व विद्यालय शिक्षा की नीति तैयार करने में असमर्थ था।

पाँच राज्यों अर्थात् बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, मेघालय तथा पंजाब में कोई पूर्व-विद्यालय शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है।

एमएचआरडी ने बताया (मई 2017) कि यू-डीआईएसई के अनुसार 10 राज्यों में 50 प्रतिशत से अधिक सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में पूर्व-प्रारंभिक कक्षाएं थीं। अधिकांश राज्य 3-6 वर्षों की आयु में बच्चों को प्रारंभिक विद्यालयों में सह स्थित आंगनवाड़ी केन्द्रों के साथ अभिसरण अथवा सरकारी विद्यालयों में पूर्व-प्रारंभिक कक्षाएं खोलने के माध्यम से शामिल कर रहे हैं। तथापि, तथ्य रहता है कि सरकार को अभी भी पूर्व-विद्यालय शिक्षा हेतु नीति तैयार करनी है तथा 50 प्रतिशत से अधिक राज्यों को अभी भी बच्चों को पूर्व-विद्यालय शिक्षा प्रदान करनी थी।

3.10 प्रति बच्चा-व्यय की प्रतिपूर्ति

अधिनियम की धारा 12(।)(सी) के अनुसार, अधिनियम की धारा 2(एन)(iv) के साथ पठित, एक असहायता प्राप्त विद्यालय, जो उपयुक्त सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण से किसी प्रकार की सहायता अथवा अनुदान प्राप्त नहीं कर रहा, प्रतिवास में कमजोर वर्गों तथा वंचित समूहों से संबंधित बच्चों को कक्षा 1 में उस कक्षा की कम से कम पच्चीस प्रतिशत संख्या की सीमा तक दाखिल करेगा तथा मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, विद्यालय धारा 12 की उप-धारा (2) के तहत प्रतिपूर्ति के रूप में इसके द्वारा प्राप्त राशि के संबंध में एक अलग बैंक खाते का अनुरक्षण करेंगे (आरटीई नियम)।

2015-16[17] हेतु, एमएचआरडी द्वारा 10 राज्यों के 11.13 लाख बच्चों के लिए ₹492.70[18] करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति की गई थी (औसतन लागत

[17] 2014-15 में 250.65 करोड़ की राशि की 7 राज्यों के 5,05,117 बच्चों हेतु प्रतिपूर्ति की गई थी (औसतन लागत ₹4962 प्रति बच्चा प्रति वर्ष पर पहुंचती है)।

[18] डीएसईएल, एमएचआरडी द्वारा जारी ओएम सं.एफ.सं. 2-21/2016 ई.ई.3 दिनांक 27 जुलाई 2016

₹4,424 प्रति बच्चा प्रति वर्ष पर पहुंची)। यह पाया गया था कि 10 राज्यों/यूटी, जिनको प्रतिपूर्ति की गई थी, के संबंध में ईकाई लागत प्रति बच्चा प्रति वर्ष (पीसीपीए) ₹5,400 (उत्तर प्रदेश) से ₹23,805 (तमिलनाडु) के बीच थी।

आरटीई नियमावली के उल्लंघन में आयोग्य संस्थानों को अधिक/अनियमित प्रतिपूर्ति से संबंधित मामलों की नीचे चर्चा की गई है:

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	कर्नाटक	• 10 ब्लॉकों की नमूना जांच से 124 विद्यालयों में व्यय की अस्वीकार्य मदों जैसे कि सांस्कृतिक गतिविधियों पर शुल्क, मरम्मत एवं अनुरक्षण पर अदा किए शुल्कों, किराए पर बीमा, यात्रा भत्ता आदि को शामिल करने के कारण ₹80.00 लाख के शुल्क की अधिक प्रतिपूर्ति उजागर हुई। • ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बीईओ),चन्नागिरी ने 16 विद्यालयों हेतु प्रतिपूर्ति राशि के ₹6.25 लाख रोके रखे। राशि को विद्यालयों से सांविधिक अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी। राशि का दिसम्बर 2015 से मार्च 2016 तक बीईओ के बचत खाते में अनियमित रूप से रखना जारी रहा। • 2012-13 तथा 2015-16 के दौरान छ: बीईओ द्वारा ₹28.86 लाख की राशि का अधिक आहरण किया गया था तथा बचत खाते में रखा गया था। • असहायता प्राप्त विद्यालयों को प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में अपने दावे के साथ विद्यालय के सीए द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखाओ को प्रस्तुत करना अपेक्षित था। 9 वस्वाकल्याण, भालकी, बिदर तथा हुमनाबाद तालूकाओं में 1304 असहायता प्राप्त विद्यालयों को 2012-13 से 2015-16 के दौरान प्रमाणित वार्षिक लेखाओं के बिना ₹13.15 करोड़ की प्रतिपूर्ति की गई थी।

2.	बिहार	2011-12 से 2013-14 हेतु तीन नमूना जांच किए गए जिलों पूर्वी चम्पारन (11 विद्यालय), मुधुबनी (3 विद्यालय), पटना (76 विद्यालय)) में 90 अपंजीकृत विद्यालयों को अनियमित रूप से ₹1.18 करोड़ के शुल्क की प्रतिपूर्ति की गई थी क्योंकि प्रतिपूर्ति केवल पंजीकृत असहायता प्राप्त विद्यालयों को ही की जा सकती थी।
3.	मध्य प्रदेश	• तीन जिलों (बुरहानपुर, धार तथा झबूआ) में 2011-15 के दौरान 4,361 छात्रों हेतु 303 अपंजीकृत विद्यालयों को ₹1.01 करोड़ अदा किए गए थे। • 2011-16 के दौरान चार जिलों (बालघाट, दतिया, धार तथा रतलाम) में विभाग के डाटाबेस में खाता संख्याओं की गलत प्रवृष्टियों के कारण विद्यालयों को ₹1.63 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया था तथा राशि चार जिला योजना समितियों (डीपीसी) के बैंक खातों में पड़ी थी। परिणामस्वरूप, विद्यालय अपने वैध बकायों से वंचित थे।
4.	उत्तराखण्ड	आरटीई संशोधित अधिनियम 2012 की धारा 2(5) के अनुसार, मदरसा, वैदिक पाठशाला तथा धार्मिक अनुदेश प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थान आरटीई अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। डीपीओ उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड में 14 मदरसों को मार्च 2014 तक विद्यालय शुल्क के रूप में ₹19 लाख की प्रतिपूर्ति की गई। डीपीओ उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड ने गलती को स्वीकार किया तथा सुनिश्चित किया कि 2013-14 के पश्चात कोई आगे की प्रतिपूर्ति/सहायता प्रदान नहीं की गई थी। तथापि प्रतिपूर्ति की गई राशि की अभी भी वसूली की जानी है।

एमएचआरडी ने बताया (मई 2017) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अशुद्धियों पर टिप्पणियां राज्य/यूटी से एकत्रित की जा रही हैं।

3.11 छात्रों को एक ही कक्षा में रखना

अधिनियम की धारा 16 अभिकल्पना करती है कि किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा के समापन तक किसी भी कक्षा में रोका अथवा विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि 14 वर्ष से अधिक की आयु वाले बच्चों को 15 राज्यों[19] में अधिनियम के उल्लंघन में प्रारंभिक कक्षाओं में रोका गया था।

कुछ विशिष्ट उदाहरण नीचे दिए गए है:

क्र. सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	असम	31 मार्च 2016 को समाप्त हो रही छ: वर्षों की अवधि के दौरान 28,427 से 33,930 बच्चों को, जिन्होने 14 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी, कक्षा VIII में रोका गया था। 14 वर्षों की आयु के ऊपर छात्रों को रोकने का कारण, प्रारंभिक चक्र का गैर-समापन था क्योंकि उन्हें समय पर अर्थात् शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ में, दाखिल नहीं किया गया था तथा कुछ मामलों में छात्रों को कक्षा में खराब प्रदर्शन **(धीमी गति से सीखने वाले)** के कारण उन्हीं कक्षाओं **(रिपीटर)** में रोका गया था।
2.	राजस्थान	2010-16 के दौरान कक्षा I से VIII में नामांकित 83.17 लाख बच्चे बड़ी उम्र के थे। इसके अतिरिक्त,14 वर्षों से अधिक के 17.60 बच्चे कक्षा III से VIII के बीच नामांकित पाए गए थे।
3.	अरूणाचल प्रदेश	प्राथमिक कक्षाओं और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में रोके गए बच्चों की संख्या 2011-16 की अवधि के दौरान क्रमश: 10,284 तथा 1,717 थी।
4.	केरल	• शैक्षणिक वर्ष 2010-11 के दौरान त्रिशूर जिले में 5 विद्यालयों में 103 छात्रों तथा इडूकी जिले में 1 विद्यालय में 10 छात्रों को रोका गया था। • अलपूझा जिले में केरल उच्च न्यायलय के आदेशों के बावजूद एक छात्र को 2015-16 के दौरान 6वीं से 7वीं कक्षा में प्रोन्नति से इंकार करना जारी रहा।

[19] अंडमान एवं निकोबार, अरूणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दादरा नागरा हवेली, दमन एवं दीव, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश।

5.	सिक्किम	संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान यह पाया गया था कि पूर्वी जिले में एक विद्यालय, रोंगनेक, जेएचएस, ने 2010-11 से 2014-15 के दौरान 114 छात्रों (दाखिल 2105 में से) को उसी कक्षा में रोका था।

एमएचआरडी ने बताया (मई 2017) कि संबंधित राज्यों से छात्रों को एक ही कक्षा में न रोकने की नीति के उल्लंघन पर टिप्पणियां एकत्रित की जा रही है।

3.12 मान्यता के बिना असहायता प्राप्त विद्यालयों का कार्य

अधिनियम की धारा 19(1) के अनुसार कोई विद्यालय,जब तक अधिनियम को अनुबंधित अनुसूची में विनिर्दिष्ट मापदण्डों तथा मानकों को पूरा नहीं करता है, स्थापित अथवा मान्यता प्राप्त नहीं माना जाएगा। जहाँ इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले विद्यालय स्थापित किया गया है वह ऐसे प्रारम्भ की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के भीतर अपने स्वयं के व्ययों पर ऐसे मापदण्डों तथा मानकों को भी पूरा करेगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 19(3) के अनुसार, जहाँ विद्यालय उप-धारा (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अवधि (3 वर्ष) के भीतर मापदण्डों तथा मानकों को पूरा करने में विफल होता है तो निर्धारित प्राधिकरण उसकी उप धारा (3) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पद्धति में ऐसे विद्यालय को प्रदान पंजीकरण वापस लेगा। बाद में, उपधारा (4) के अनुसार, उपधारा (3) के अंतर्गत मान्यता के वापस लेने की तिथि से कोई विद्यालय कार्य करना जारी नहीं रखेगा तथा कोई व्यक्ति जो मान्यता के वापस लेने के पश्चात भी विद्यालय का चलना जारी रखता है तो वह दण्ड का जिम्मेदार होगा जो एक लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकता है तथा उल्लंघनों को जारी रखने के मामले में प्रत्येक दिन, जिसके दौरान ऐसे उल्लंघन जारी रहे, के लिए प्रतिदिन दस हजार रूपये तक के दण्ड का जिम्मेदार होगा।

लेखापरीक्षा ने पांच राज्यों में अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने में विचलन पाए:

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	छत्तीसगढ़	रायपुर तथा अम्बिकापुर में जिला कार्यालयों में सरकार को 70 प्राथमिक विद्यालयों (पीएस) तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों (यूपीएस) का पंजीकरण समाप्त करने की सिफारिश की गई थी (जुलाई 2016) परंतु अम्बिकापुर में केवल 11 पीएस तथा यूपीएस का पंजीकरण समाप्त किया गया था।
2.	केरल	1,666 असहायता प्राप्त विद्यालय 31 मार्च 2016 तक बिना पंजीकरण के कार्य कर रहे थे।
3.	झारखण्ड	चार नमूना जांच किए गए जिलों (देवघर, गिरिडिह, पाकुड़ तथा सिमडेगा) में, कार्य कर रहे 547 निजी विद्यालयों में से 352 निजी विद्यालयों ने जनवरी 2013 से दिसम्बर 2015 के दौरान मान्यता हेतु आवेदन किया था। डीपीओ/डीएसई द्वारा जांच के पश्चात इनमें से 101 विद्यालय मान्यता हेतु योग्य पाए गए थे। तथापि, इनको जुलाई 2016 तक मान्यता प्रदान नहीं किया गया था क्योंकि प्रस्ताव निदेशक प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड के पास लंबित थे तथा इन विद्यालयों को कोई सरकारी निधि प्रदान नहीं की गई हैं।
4.	गुजरात	नमूना जांच किए जिलों में 2,052 मौजूदा असहायता प्राप्त विद्यालय गुजरात राज्य आरटीआई नियमावली, 2012 के कार्यान्वयन से चार वर्षों के बीत जाने के पश्वात भी पंजीकरण प्रमाणपत्र के बिना कार्य कर रहे थे। डीपीईओ तथा डीईओ ने बताया (मई -अगस्त 2016) कि मौजूदा असहायता प्राप्त विद्यालयों को मान्यता का मामला प्रगति में था।

5.	उत्तराखण्ड	उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड में, 2015-16 के दौरान 109 विद्यालय अपेक्षित मान्यता प्रमाणपत्र के बिना कार्य कर रहे थे तथा मार्च 2016 तक उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, मान्यता के बिना विद्यालय चलाने हेतु दण्ड का उद्ग्रहण करने के बजाए इनमें से दो विद्यालयों को धारा 12(।)(सी) के तहत कुल ₹2.84 लाख के शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की गई थी।

मान्यता में विलंब तथा बिना मान्यता के विद्यालयों के कार्य करने के कारण अधिनियम के मापदंडों तथा मानकों का गैर-अनुपालन हुआ।

एमएचआरडी ने बताया (मई 2017) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अशुद्धियों पर राज्य/यूटी से टिप्पणियां एकत्रित की जा रही है।

3.13 अधिनियम के उल्लंघन में कैपिटेशन शुल्क का उद्ग्रहण

अधिनियम की धारा 13 के अनुसार, कोई विद्यालय अथवा व्यक्ति, बच्चे का दाखिला कराते समय, किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा तथा बच्चा अथवा बच्ची अथवा उसके माता-पिता अथवा अभिभावक किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं होगें कोई भी विद्यालय अथवा व्यक्ति, प्रावधानों के उल्लंघन में कैपिटेशन शुल्क प्राप्त करता है अथवा बच्चे को स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन लाता है तो उसे शास्ति लगाकर दण्डित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तेलांगाना राज्य में शिक्षा विभाग ने 21 विद्यालयों को कक्षा I से VIII तक में दाखिले हेतु स्क्रीनिंग जांच करने तथा बच्चों से कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण करने हेतु नोटिस (मार्च-दिसम्बर 2014)जारी किए थे। इनमें से नौ विद्यालयों को ₹15.29[20] करोड़ का दण्ड लगाया गया था। तथापि, यह पाया गया कि विद्यालयों से दण्ड लगाने की तिथि से

[20] 1. मेरीडियन विद्यालय, माधापुर, हैदराबाद (₹0.10 करोड़), 2. सीएचआईआरईसी विद्यालय कोंदापुर, हैदराबाद (₹0.15 करोड़), 3. दिल्ली पब्लिक स्कूल, खाजागुडा (₹0.10 करोड़), 4. एसपीआर उच्च विद्यालय, वारंगल (₹6.62 करोड़), 5. ग्रीनवुड उच्च विद्यालय, हनम्कोंडा (₹1.81 करोड़), 6. ओससेस उच्च विद्यालय (₹0.31 करोड़), 7. तेजस्वी उच्च विद्यालय, हनम्कोंडा (₹0.78 करोड़), 8 संत ग्रेबियल उच्च विद्याल, वारंगल (₹2.92 करोड़), तथा 9. नेशनल उच्च विद्यालय, वारांगल (₹2.50 करोड़)

लगभग दो वर्षों के बीत जाने के पश्चात भी अगस्त 2016 तक कोई राशि प्राप्त नहीं की गई थी।

एमएचआरडी ने बताया (मई 2017) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अशुद्धियों पर राज्य से टिप्पणियां एकत्रित की जा रही है।

3.14 छात्र-शिक्षक अनुपात

अधिनियम की धारा 25 कहती है कि इस अधिनियम के लागू होने के तीन वर्षों के अन्दर (31 मार्च 2013), उपयुक्त सरकार एवं स्थानीय प्राधिकरण को सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक विद्यालय में अनुसूची में निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात (पीटीआर) रखा गया है।

अधिनियम की अनुसूची (यू/एस 19 व 25/भाग-।।) के अनुसार, प्राथमिक के साथ-साथ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात निम्नानुसार था:

तालिका 15: आरटीई के अंतर्गत शिक्षकों के मानदंड

कक्षा	छात्रों की सं.	आवश्यक शिक्षकों की सं.
प्राथमिक (I से V)	60 छात्रों तक	2 शिक्षक
	61-90 छात्र	3 शिक्षक
	91-120 छात्र	4 शिक्षक
	121- 200 छात्र	5 शिक्षक + एक प्रधानाध्यापक
	200 छात्रों से अधिक	प्रति 40 छात्र पर एक शिक्षक +प्रधानाध्यापक
उच्च प्राथमिक (VI से VIII)	प्रति 35 छात्र	1 शिक्षक
		एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक
		विज्ञान एवं गणित, सामाजिक अध्ययन तथा भाषा प्रत्येक के लिए एक शिक्षक
		कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भौतिक शिक्षा तथा कार्य शिक्षा हेतु अंशकालिक निर्देशन

ये नियम स्पष्टत: एकल शिक्षक विद्यालयों का निषेध करते हैं। लेखापरीक्षा ने 11 राज्यों में शिक्षकों की तर्कहीन नियुक्ति के मामले पाये जिनके विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	छत्तीसगढ़	प्रतिकूल एवं अतिरिक्त दोनों ही तरह के पीटीआर के मामले पाये गये थे। 2015-16 में, 30,919 पीएस एवं 13,408 यूपीएस में से, 4,362 पीएस, एवं 2,112 यूपीएस में प्रतिकूल पीटीआर था और 13,947 पीएस एवं 8,227 यूपीएस में अधिक पीटीआर थे। ध्यानकर्षण किये जाने पर, विभाग ने बताया कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हलांकि, विभाग शिक्षकों की तैनाती को तर्क संगत करने में असफल रहा।
2.	बिहार	2010-16 के दौरान सरकारी विद्यालयों का पीटीआर (पीएस एवं यूपीएस दोनों) 50:1 से 61:1 ते मध्य रहा। 3,269 पीएस (आठ प्रतिशत) एवं 127 यूपीएस (एक प्रतिशत) 2015-16 के दौरान बिहार में एक शिक्षक के साथ चल रहे थे।
3.	मेघालय	राज्य परियोजना निदेशक, राज्य शिक्षा मिशन प्राधिकरण मेघालय (एसईएमएएम) के 2010-16 के दौरान अभिलेखों की संवीक्षा में 224 एकल शिक्षक विद्यालयों के बावजुद एक अनुकूल पीटीआर अनुपात प्रकट हुआ जो 31 मार्च 2016 शिक्षकों के तर्कहीन तैनाती को दर्शाता है।
4.	मध्य प्रदेश	18,940 से 48,132 पीएस एवं 13,763 से 15,107 यूपीएस में 2010-16 के दौरान प्रतिकूल पीटीआर थे। आरटीई अधिनियम की आवश्यकता के विरूद्ध नमूना परीक्षित जिलों में 2,925 शिक्षक एवं 729 मुख्य शिक्षक 2,444 पीएस में अधिकता में थे तथा 751 शिक्षक तथा 621 पूर्ण कालिक मुख्य शिक्षक, 886 यूपीएस में अधिकता में थे। 17,938 (15 प्रतिशत) से 20,245 (18 प्रतिशत) विद्यालय 2010-2016 के दौरान एक शिक्षक द्वारा चलाये जा रहे थे। आठ जिलों में,1,329 पीएस एवं यूपीएस में कोई शिक्षक नहीं था। तीन शिक्षकों की आवश्यकता के विपरीत, 7,269 (24

		प्रतिशत) (2013-14) से 7,937 (26 प्रतिशत) (2015-16) यूपीएस में दो शिक्षक उपलब्ध थे।
5.	गुजरात	5,698 छात्रों के लिए 64 विद्यालयों में 2013-14 के दौरान कोई शिक्षक नहीं था और 677 विद्यालयों में मार्च 2016 तक केवल एक शिक्षक था। दूसरी तरफ मार्च 2016 तक 1,539 पीएस एवं 4,243 यूपीएस में क्रमश: 843 एवं 7,333 अतिरिक्त शिक्षक थे। प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक द्वारा पीएस एवं यूपीएस में शिक्षकों की तर्कसंगत तैनाती के लिए कोई प्रयास नहीं किये गए थे।
6.	आन्ध्र प्रदेश	5,282 पीएस (15 प्रतिशत) एवं 35 यूपीएस (0.67 प्रतिशत) में 31 मार्च 2016 तक एक ही शिक्षक था तथा 1928 पीएस (5.5 प्रतिशत) एवं 829 यूपीएस (16 प्रतिशत) प्रतिकूल पीटीआर के साथ थे।
7.	हरियाणा	2015-16 में 788 पीएस (8.86 प्रतिशत) एवं 269 यूपीएस (4.79 प्रतिशत) एक शिक्षक के साथ कार्य कर रहे थे।
8.	ओडिशा	राज्य में 2,023 (3.4 प्रतिशत) विद्यालय 2015-16 के दौरान एक शिक्षक के साथ कार्य कर रहे थे। नमूना परीक्षित जिलों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2,379 छात्रों (2015-16) वाले 85 विद्यालय दो से तीन शिक्षकों के मानदंड के स्थान पर एक ही शिक्षक के साथ कार्य कर रहे थे।
9.	पंजाब	1,406 पीएस (10.78 प्रतिशत) एवं 228 यूपीएस (3.61 प्रतिशत) एक ही शिक्षक के साथ कार्य कर रहे थे।
10.	राजस्थान	11,071 पीएस (29 प्रतिशत) एवं 365 यूपीएस (दो प्रतिशत) 2015-16 के दौरान दो एवं तीन शिक्षकों के मानदंड के स्थान पर एक ही शिक्षक के साथ कार्य कर रहे थे।
11.	तमिलनाडु	राज्य ने 2015-16 के दौरान 197 (2.39 प्रतिशत) एकल शिक्षक विद्यालयों के साथ (154 सरकारी विद्यालय एवं 43 सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय) काम करना जारी रखा।

सतत रिक्तियों एवं उपलब्ध शिक्षकों के समुचित तैनाती के अभाव के कारण विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात प्रतिकूल रहा। प्रतिकूल अनुपात एवं एकल शिक्षक विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता एवं सीखने के वातावरण को प्रभावित करते हैं।

एमएचआरडी ने बताया (मई 2017) कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्धारित पीटीआर मानदंडों को सभी विद्यालय पूरा करें, राज्यों और यूटी पर प्रभाव डाल रही है।

3.15 शिक्षक कक्षा अनुपात में विपरीत प्रवृत्ति

अधिनियम की धारा 19 और संबद्ध अनुसूची में निहित है कि प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा तथा एक कार्यालय-सह-भण्डार-सह-मुख्य शिक्षक का कमरा होना चाहिए। विगत चार वर्षों के दौरान 'विद्यालय रिपोर्ट कार्ड' के तहत डाटा से प्रकट हुआ कि शिक्षक-कक्षा अनुपात में बढ़ोतरी हुई जो ऐसे विद्यालयों की संख्या बढ़ोतरी का संकेतक है जहाँ शिक्षकों के लिए कक्षाओं की कमी थी जो कि 2012-13 में 8,94,329 से बढ़कर 2015-16 में 9,58,820 हो गए थे, जिसे निम्न तालिका में दर्शाया है:

तालिका 16: शिक्षक कक्षा अनुपात

वर्ष	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या	विद्यालयों की सं. जिनमें कक्षाओं से अधिक शिक्षक थे	प्रतिशत
2012-13	14,31,703	8,94,329	62.47
2013-14	14,48,712	10,17,496	70.23
2014-15	14,45,807	9,83,359	68.01
2015-16	14,49,078	9,58,820	66.17

स्रोत: यूडीआईएसई डाटा

तालिका से, यह देखा गया कि 2012-13 में 62.47 प्रतिशत विद्यालयों को एक कक्षा में एक से अधिक शिक्षक को रखना पड़ा था और 2015-16 में यह बढ़कर 66.17 प्रतिशत हो गई, इससे अधिनियम के तहत निर्धारित मानदण्डों की अनुपालना हेतु मौजूदा विद्यालयों में कक्षाओं को बढ़ाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई।

चित्र 1:दुबाचुरी के 656 सं. एलपीएस-बिलासीपाड़ा, धुबरी जिला (असम) के एक ही कमरे में तीन कक्षाएं (कक्षा I, II एवं क - श्रेणी) चल रही हैं।

एमएचआरडी ने बताया (दिसम्बर 2016) कि 2000-01 के बाद से 17.59 लाख अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण हुआ, परंतु हालांकि, मार्च 2016 तक, तथ्य रहे है कि 9.59 लाख विद्यालय प्रतिकूल शिक्षक कक्षा अनुपात वाले हैं।

3.16 गैर-शैक्षणिक प्रयोजनों हेतु शिक्षकों की तैनाती

अधिनियम की धारा 25(2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 27 के अनुसार, किसी गैर-शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए किसी शिक्षक की तैनाती दशवर्षीय जनगणना, आपदा राहत दायित्व अथवा स्थानीय प्राधिकरण या राज्य विधानसभाओं या संसद के निर्वाचन से संबंधित दायित्वों, जैसा भी हो, के अलावा और कहीं नहीं की जाएगी।

एमएचआरडी ने माननीय उच्चतम न्यायलय के आदेशों के आधार पर सभी राज्यों/यूटी को गैर-शैक्षणिक दायित्वों के लिए शिक्षकों की तैनाती हेतु दिशानिर्देश जारी किया था (सितम्बर 2010) जो स्पष्ट करता है कि शिक्षकों की तैनाती स्थानीय प्राधिकरण/राज्य विधानसभाओं/संसद के चुनाव से संबंधित दायित्वों के लिए की जा सकती है जिनमें अन्य बातों के साथ, निर्वाचन के आयोजन, प्रशिक्षण एवं निर्वाचन सामग्री के संग्रहण पर व्यतीत समय शामिल है। इसके अतिरिक्त, चुनाव तालिका समीक्षा से संबंधित अन्य सभी दायित्व अवकाशों में और गैर-शैक्षणिक घण्टों में तथा गैर-शैक्षणिक दिनों में की जा सकती थी।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित मामलों में मानदण्डों का उल्लंघन करते हुए गैर-शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों की तैनाती देखी गयी थी:

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	आन्ध्र प्रदेश	जनगणना और निर्वाचन दायित्वों के अतिरिक्त, 37 शिक्षिकों को लोक प्रतिनिधियों के पीए एवं 28 शिक्षकों को अन्य प्रतिनिधियों पर पदासीन किया गया था जो शिक्षा से संबंधित नहीं थे। विभाग ने बताया कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायलय के निर्णय के मददेनजर, सभी जिलाधीशों एवं जिला शैक्षणिक अधिकारियों को इस तरह तैनात किए गए शिक्षकों को वापस बुलाने का निर्देश दिया गया था। जिलाधीशों द्वारा अभी कार्रवाई की जानी शेष थी।
2.	असम	असम के चयनित चार जिलों में से तीन में, 1,559 प्रारंभिक शिक्षक 2014-15 की अवधि में राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनआरसी)[21] के अद्यतन हेतु फील्ड सत्यापन में संलग्न थे।
3.	केरल	केरल के थ्रिस्सुर एवं इडुक्की जिलों में 12 पंचायतों ने 12 शिक्षकों की तैनाती (थ्रिस्सुर एवं इडक्की दोनों में से प्रत्येक जिले में छः) ग्राम सभा, समन्वयन एवं कार्यान्वयन अधिकारी जैसे गैर-शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए की थी।
4.	मेघालय	पूर्वी खासी पहाड़ी जिले में, 133 विद्यालय शिक्षक 2010-16 की अवधि में प्रति वर्ष 30 से 45 दिनों के लिए सारांश समीक्षा/ निर्वाचन उपस्थिति के अद्यतन हेतु संलग्न रहे।
5.	मिजोरम	पीएस एवं यूपीएस शिक्षकों को मंडलों, ब्लॉक, जिले तथा राज्य स्तरीय कायालयों में समन्वयक, परियोजना सहायक, आंकड़ा प्रविष्टि संचालन आदि के कार्यों में अनियमित रूप से संलग्न किया गया था। इससे 2010-16 के दौरान एसएसए निधियों से अदा किये गये वेतन के प्रति ₹37.22 करोड़ का वित्तीय प्रभाव पड़ा।

[21] एनआरसी, असम राज्य सरकार द्वारा परियोजना समन्वयक,नागरिकता पंजिका के माध्यम से राष्ट्रीय नागरिकता पंजिका, 1951 के अद्यतन हेतु उपक्रमित एक परियोजना है जो जनगणना से अलग है।

6.	पंजाब	1,609 शिक्षकों को जिला संसाधन व्यक्तियों (डीआरपी) एवं ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों (बीआरपी) के रूप में तैनात किया गया था। निर्गम बैठक के दौरान, विभाग ने बताया कि सभी बीआरपी एवं डीआरपी, वे जिन्हें गैर-शैक्षणिक प्रयोजनों हेतु नियुक्त किया गया था, उन्हें विद्यालयों में वापिस बुला लिया गया है।
7.	राजस्थान	2010-16 के दौरान, 14 जिलों में 112 शिक्षकों को नगर परिषद, जिला परिषद एवं राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद आदि के कार्यालयों में दायित्व के निर्वहन हेतु तैनात किया गया था।
8.	तेलांगना	नमूना जांच किए गए 2 जिलों में 67 शिक्षकों को अन्य कार्यों अर्थात शैक्षणिक प्रयोजन के अलावा कार्यों के लिए तैनात किया गया था।
9.	उत्त्राखण्ड	268 शिक्षकों को राज्य में समूह संसाधन समन्वयक (सीआरसी) के रूप में प्रबंधन आधार पर तैनात किया गया था। एसपीओ ने बताया कि नियमित सीआरसी की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है, परंतु चयन प्रक्रिया को न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण स्थगित कर दिया गया था।

अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर शिक्षकों की तैनाती से बच्चों को दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई।

एमएचआरडी ने बताया (मई 2017) कि एनयूईपीए ने शिक्षकों द्वारा शैक्षिक और गैर-शिक्षण गतिविधियों पर बिताए गए समय के आकलन के लिए अध्ययन किया था और रिपोर्ट विचाराधीन है।

3.17 पाठ्य पुस्तकों एवं वर्दियों का अधिप्रापण/वितरण

अधिनियम की धारा 8 एवं 9 के प्रावधानों के अनुसार, बच्चों को सीखने की सामग्री प्रदान करना राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण का कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त, आरटीई नियमों के नियम 4(3) (घ) के अनुसार, विद्यालय विकास योजना में पाठ्य पुस्तकों एवं वर्दियों को पूरा करने के लिए कोई अन्य अतिरिक्त आवश्यकता, और जो पीएबी अनुमोदित परिव्यय का भाग हो, जैसी बच्चों की हकदारी शामिल होगी।

पाठ्य पुस्तकों/वर्दियों की अधिप्राप्ति एवं संवितरण में अनियमितता के मामलों को नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	**अरूणाचल प्रदेश**	एसएसए के वित्तीय नियमों 121.6 (5) के अनुसार, ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान मात्र निर्माण कार्य के संबंध में ही किया जाना चाहिए न कि माल एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु। लेखापरीक्षा ने पाया कि, उपरोक्त नियम का उल्लंघन करते हुए एसपीडी, एसएसए ने 2010-11 से 2014-15 के दौरान चार आपूर्तिकर्ताओं को कार्य/पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति हेतु ₹20.08 करोड का अग्रिम भुगतान किया था जो पुस्तकों की कुल कीमत का 73.59 से 100 प्रतिशत तक था। इस प्रकार, ₹20.08 करोड़ का अग्रिम चार आपूर्तिकर्ताओं को किया गया जो कि अनियमित था अपितु अनुचित पक्षपात भी दर्शाता है। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि 2013-14 के दौरान मैसर्स शांति एंटर प्राइजेज, नाहार्लागुन को ₹4.73 करोड़ का पूर्व भुगतान किये जाने के बावजूद ₹10.88 लाख मूल्य की 12,299 पाठ्य पुस्तकें एसपीडी, एसएसए तक कभी नहीं पहुंची। आपूर्तिकर्ता से शेष पाठ्य-पुस्तकों की पूर्ति हेतु कोई अनुवर्ती कार्रवाई दर्ज नहीं पायी गई।
2.	छत्तीसगढ़	मिशन निदेशक के अभिलेखों से प्रकट हुआ कि छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम (सीटीबीसी) ने 2012-13 से 2015-16 के दौरान ₹250 प्रति बच्चे की सीमा (एसएसए रूपरेखा में निर्धारित मानदंड) के स्थान पर प्रति बच्चे ₹256 से ₹317 तक मूल्य पर 26,27,818 छात्रों की संख्या (कक्षा VI से VIII) को पाठ्य-पुस्तकों की आपूर्ति की थी। यह ₹7.70 करोड़ के अतिरिक्त व्यय में प्रतिफलित हुआ। मिशन निदेशक ने बताया (मई 2016) कि पाठ्य-पुस्तकों की आपूर्ति का अनुमोदित बजट प्रावधान के अंदर भुगतान

		किया गया था। उच्च मूल्यों पर खरीद के मामले का जबाव नहीं मिलता।
3.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र प्रारंभिक शिक्षा परिषद (एमपीएसपी) कक्षा VIII तक के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में दाखिल बच्चों को मुफ्त वितरण के लिए पाठ्य पुस्तकें और कार्यपुस्तिकाओं के मुद्रण के लिए महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम अनुसंधान ब्यूरो (एमएसबीटीबी एवं सीआर), पुणे को आदेश देता है। 2010-14 के दौरान, 57.81 करोड़ पुस्तकों में से, 17.09 करोड़ किताबों (29.56 प्रतिशत) की आपूर्ति एमएसबीटीबी एवं सी आर द्वारा अकादमिक सत्र की शुरूआत के पश्चात् की गई थी। एक से लेकर छः माह तक के विलंब थे। परिणामस्वरूप, समय पर किताबों को बच्चों में वितरित नहीं किया गया था।
4.	झारखण्ड	2010-16 के दौरान सरकारी एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों में कुल दाखिला 3.25 करोड़ था, तथापि, इस अवधि के दौरान पाठ्य-पुस्तकों के केवल 2.79 करोड़ सेट ही मुद्रित हुए थे। परिणामस्वरूप, 45.81 लाख बच्चे 2010-16 के दौरान पुस्तकों की कम छपाई के कारण मुफ्त पाठ्य-पुस्तकों से वंचित रह गए थे। चार चयनित जिलों (देवघर, गिरडि, पाकुड एवं सिमडेगा) में, 2010-16 के दौरान 16.83 लाख छात्रों के बीच पुस्तकें नहीं बांटी गयी थीं। इसके अतिरिक्त, दो जिलों, (गिरडि एवं पाकुड) के नमूना परीक्षित 42 विद्यालयों में I से VIII कक्षा तक के 35,225 छात्रों में 12,576 छात्रों को 2010-16 के दौरान मुफ्त पाठ्य-पुस्तकें नहीं मिली थी। झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद (जेईपीसी) ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रत्येक विद्यालय में छात्र उपस्थिति एवं पुस्तक बैक में पाठ्य-पुस्तकों की उपलब्धता के आधार पर पाठ्य-पुस्तकों की छपाई की निर्णय लिया था। राज्य का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि पुस्तकों का वितरण नामांकन के आधार पर होना चाहिए न कि उपस्थिति के आधार पर।

5.	केरल	छात्रों के सभी श्रेणियों में वर्दियों की आपूर्ति करनी आवश्यक थी, परंतु गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) के पात्र छात्रों को 2012-16 के दौरान वर्दियॉ प्रदान नहीं की गई थीं।
6.	मध्य प्रदेश	राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र (आरएसके) के अभिलेखों से प्रकट हुआ कि 2010-16 के दौरान 26.49 करोड़ पुस्तकों के आपूर्ति आदेश के प्रति 42.88 लाख पुस्तकों की कम आपूर्ति हुई थी। जिन जिलों में एमपी पाठ्य-पुस्तक निगम द्वारा पुस्तकें प्रदान नहीं की गयी थी उनके द्वारा सत्र की शुरूआत के बाद अतिरिक्त मॉग रखी गई थी। इससे पाठ्य-पुस्तकों की विलंबित आपूर्ति हुई थी। विभिन्न विषय की 1,10,933 पुस्तकें तीन जिलों (बालघाट, दतियां एवं रतलाम) में 2013-16 के दौरान वितरित नहीं की गयी थी और तीन जिलों (बालघाट,बर्हानपुर एवं दतिया) में 4,32,497 पुस्तकें सत्र की शुरूआत के बाद जुलाई से नवम्बर माह में बॉटी गयी थीं। डीपीसी द्वारा कहा गया कि विलंबित संवितरण, निगम से आपूर्ति में देरी के कारण हुआ था और भविष्य में पाठ्य-पुस्तकों का समय पर संवितरण का ध्यान रखा जाएगा।
7.	ओड़िशा	सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा I से कक्षा VIII के 54,99,796 विद्यार्थियों के लिए 2014-15 के दौरान 2.77 करोड़ की मुफ्त पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता के प्रति, केवल 2.69 करोड़ किताबों की आपूर्ति की गई थी जिसके कारणवश 7.5 लाख पुस्तकों की कम आपूर्ति हुई थी। परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान 59,710 विद्यार्थियों को किताबों का पूरा सेट प्राप्त नहीं हुआ था और कक्षा IV से VIII तक के 1,38,636 विद्यार्थियों को आंशिक रूप से पुस्तकें प्राप्त हुई थीं।

8.	मेघालय	पीएबी संस्वीकृत परिव्ययों के प्रति निधियों के कम निर्गम (₹37.79 करोड़) के कारण 2012-15 (वर्ष 2015-16 के अलावा) के दौरान 82 से 97 प्रतिशत पात्र बच्चों को मुफ्त स्कूली वर्दियों से वंचित रखा गया था। 2012-16 के दौरान, 9,44,828 बच्चों को मुफ्त स्कूली वर्दियों से वंचित रखा गया था।
9.	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनाजपुर जिला (पश्चिम बंगाल,), 13 स्कूलों के प्रभारी शिक्षकों ने सूचित किया कि 2014-15 के दौरान वितरित वर्दी की गुणवत्ता काफी खराब थी। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया था कि कालियागंज मिलानमोयी मुफ्त प्राथमिक स्कूल, उत्तर दिनजपुर के 17 बच्चों के अभिभावकों ने मानक से कम गुणवत्ता वाली वर्दियों को प्राप्त करने से मना कर दिया था।
10.	उत्तर प्रदेश	3 नमूना-जांच जिलों (महाराजगंज, गाज़ीपुर और सोनभद्र) की नमूना-जांच से पता चला कि 2014-16 के दौरान आवश्यकता से अधिक 24.73 लाख किताबों का क्रय किया था जिनकी कीमत ₹ 3.19 करोड़ थीं।

समय पर स्कूली किताबों के गैर-संवितरण और मानक से कम वर्दियों का संवितरण/गैर संवितरण प्रदान की जा रही शिक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

एमएचआरडी ने बताया (मई 2017) कि मुद्दे पर स्पष्टीकरण के लिए संबंधित राज्यों के पास मामला प्रेषित कर दिया है।

3.18 स्कूलों के अवसंरचनात्मक विकास में अनियमितताएं

अधिनियम की धारा 8 और 9 के अनुसार, स्कूल भवन, शिक्षण स्टाफ और सीखने की सामग्री सहित अवसंरचना प्रदान करना राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण का कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 19(I) के अनुसार, कोई भी स्कूल स्थापित या मान्यता-प्राप्त नहीं हो सकता जबतक कि वह अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट मानदंड और मानकों को पूरा न करता हो। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 19 के अनुसार और अधिनियम से संलग्न अनुसूची के अनुसार, प्रत्येक स्कूल के पास हर मौसम

में उपयुक्त भवन होना चाहिए जिसमें (i) एक कक्षा के लिए कम से कम एक अध्यापक और एक कार्यालय-सह-भंडार-सह-मुख्यध्यापक का कक्ष; (ii) बाधा-मुक्त पहुँच; (iii) लड़के और लड़कियों के लिए अलग शौचालय; (iv) सभी बच्चों के लिए स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल सुविधा; (v) खेल का मैदान; (vi) चारदीवारी/फैंसिंग द्वारा स्कूल भवन सुरक्षित करने के लिए व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिए। अधिनियम में अनिवार्य था कि तीन वर्षों के भीतर अर्थात् 31 मार्च 2013 तक स्कूली अवसंरचना के लिए प्रावधान किया जाएगा। अवसंरचना विकास में अनियमितताओं के मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

3.18.1 अपर्याप्त अवसंरचना

सात राज्यों/यूटी में लेखापरीक्षा में नमूना जांच से पता चला कि अवसंरचनात्मक सुविधाओं में कमियां थी जिसका उल्लेख नीचे किया गया है:

(i) चण्डीगढ़

खुदा अली शेर, चण्डीगढ़ में सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल की नमूना जांच से पता चला कि बीम में बड़ी दरारों और रिसावों के कारण स्कूल का भवन असुरक्षित था। स्कूल प्रधानाचार्य के निवेदन के बावजूद (जुलाई 2014), इंजीनियरिंग विभाग द्वारा कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए थे और स्कूल अभी भी असुरक्षित भवन में चल रहा था, इस प्रकार विद्यार्थियों (लगभग 200) पर जोखिम बना हुआ था।

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2016)।

(ii) त्रिपुरा

उत्तर त्रिपुरा जिले में धर्मनगर नगर पालिका परिषद के अंतर्गत

चित्र 2: बांस के शेड में चल रहा स्कूल

दुर्गापुर जे.बी. स्कूल की भौतिक जांच से पता चला कि स्कूल 2004 से आंगवाड़ी केन्द्र (एडब्ल्यूसी) में कार्य कर रहा था।

उसी प्रकार, ढलाई जिला में गंगानगर ब्लॉक के अंतर्गत कुम्भरम पारा जेबी स्कूल 2001 से अस्थाई बांस की शेड में चल रहा था। ढलाई जिले मे दुमबरनगर ब्लॉक गंडाचेर्रा के अंतर्गत राजधान चौधरी पारा जे.बी. स्कूल भी 2004 से जीसीआई शीट से निर्मित अस्थायी कमरे में चलाया जा रहा था।

परिणामस्वरूप, शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुकूल माहौल इन तीन स्कूलों में मौजूद नहीं था।

(iii) केरल

1,412 स्कूलों ने सितम्बर 2016 तक फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए थे। सार्वजनिक शिक्षा निदेशालय, केरल ने सूचित किया कि 146 स्कूल असुरक्षित स्थिति में थे।

(iv) झारखंड

चार चयनित जिलों में से दो (गिरिध एवं पाकुर) में, 14 स्कूल बिना भवन के थे। दो सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में एक स्कूल में मौजूदा छः कक्षाओं में से तीन और अन्य स्कूल में तीन कमरे अप्राधिकृत कब्जे में थे और इसलिए शिक्षण उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं लाए जा रहे थे।

(v) पुडुचेरी

दो चयनित जिलों में 378 स्कूलों की नमूना जांच से पता चला कि 6 स्कूल किराए के भवनों में चलाए जा रहे थे, 2 जिलों के 70 नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 17 स्कूल बिना खेल के मैदान के थे, 37 स्कूल बिना बाधा मुक्त पहुंच के थे, और 2 स्कूल बिना चारदीवारी के थे। एक स्कूल में, एस्बेस्टस शीट में कवर जीर्ण पुरानी रसोई भवन में 2 कक्षाएं चलाई जा रही थी।

(vi) दिल्ली

दिल्ली नगर निगमों (डीएमसी) में, संबंधित डीएमसी के शिक्षा विभाग की मांग पर इंजीनियरिंग विभाग द्वारा स्कूलों में निर्माण एवं नवीकरण कार्य किए जाते हैं। 2009-16 के दौरान, उत्तर और दक्षिण

डीएमसी के शिक्षा विभागों ने 95 स्कूलों में विभिन्न निर्माण कार्यों की मांग की थी। जुलाई 2016 तक इन निर्माण कार्यों की स्थिति को नीचे तालिकाबद्ध किया गया है।

तालिका 17: निर्माण कार्यों की स्थिति

निर्माण कार्य	स्कूलों की संख्या	प्रस्तावित निर्माण कार्य	निष्पादित निर्माण कार्य	निष्पादित न किए निर्माण कार्य (%)
कक्षा	78	1317	380	937 (71)
हॉल	28	29	9	20 (69)
शौचालय ब्लॉक	34	271	100	171 (63)
सीटे (टायलेट)	6	83	16	67 (81)
चारदीवारी	18	18	5	13 (72)
द्वार	1	1	0	1 (100)

लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित का पता लगा:

- आठ स्कूलों में निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ था क्योंकि उनके संबंधित शिक्षा विभागों द्वारा बजट उपलब्ध नहीं करवाया गया था।
- उत्तर एमसीडी में चौबीस निर्माण कार्यों और दक्षिण एमसीडी में 25 निर्माण कार्यों की शुरूआत नहीं हुई थी जबकि मांगें 7 से 78 माह पूर्व इंजीनियरिंग विभाग द्वारा प्राप्त कर ली गई थीं।
- 50 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो जाने और ₹1.16 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् भी मेट्रों स्टेशन के निर्माण के कारण नगर निगम प्रारंभिक स्कूल, गोपाल नगर का निर्माण कार्य बीच में ही छोड़ दिया गया था।

(vii) तमिलनाडु

चयनित जिलों में 150 स्कूलों की नमूना जांच से पता चला कि 9 स्कूलों में राज्य राजमार्ग, नदी और बाँध को पार करने के लिए बाधा मुक्त पहुंच नहीं थे, एक स्कूल में टूटी हुई टाइल की छत के गलियारे में कक्षाओं का संचालन हुआ था; 19 स्कूल टाइल छत वाले भवनों में कार्यान्वित थे; 3 स्कूल एस्बेस्टोस शीट की छत के भवनों

में थे; 11 स्कूल जीर्ण भवनों में थे; और 19 स्कूलों में रसोईघर शेड नहीं था।

(viii) उत्तर प्रदेश

- 105 स्कूल बिना भवन के थे; 403 स्कूल जीर्ण भवनों में चलाए जा रहे थे; और 858 स्कूल किराए के भवनों में चलाए जा रहे थे।

- बाहरायच, गोरखपुर, सुलतानपुर और उन्नाव जिलों में 26 स्कूल भवनों में प्रत्येक में (कुल 58 स्कूल) 2 से 3 पीएस/यूपीएस थे। इस प्रकार, अधिनियम के कार्यान्वयन के छः वर्षों के पश्चात् भी स्कूलों को उचित स्कूल भवन प्रदान नहीं किए गए थे।

चित्र 3 : बाहरायच में स्कूल

- पीएस पायसी, गोरखपुर के प्रत्यक्ष सत्यापन से पता चला कि विद्यालय डेयरी/गोटेरी के रूप में उपयोग किया जा रहा था तथा पीएस पायसी भी यूपीएस पायसी के भवन में चल रहा था।

चित्र 4: पायसी में विद्यालय

उपरोक्त मामले बुनियादी ढांचे की अपर्याप्तता का संकेत करते हैं जो छात्रों के लिए खतरा बनता है और गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने में असफल रहा है।

3.18.2 चारदीवारी

अधिनियम की धारा 19 के अनुसार और अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार, प्रत्येक विद्यालय में चारदीवारी/बाड़ द्वारा विद्यालय की सुरक्षा हेतु व्यवस्था सहित एक सभी-मौसम भवन होना चाहिए। 'विद्यालय रिपोर्ट कार्ड' के (आंकडो के) डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 2012-13 के दौरान, 64 *प्रतिशत* विद्यालयों में चारदीवारी थीं। यह 2015-

16 के दौरान 68 *प्रतिशत* तक बढ़ी। अतः, आज तक, 32 *प्रतिशत* विद्यालय बिना चारदीवारी के हैं।

एमएचआरडी (दिसंबर 2016) ने बताया कि चार दीवारें उन स्कूलों को प्रदान की गई थीं जो राजमार्गों, तालाबों, रेलवे लाइनों, जंगलों, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और अतिक्रमण आदि के नियमों के पास स्थित थीं। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आरटीई अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार, प्रत्येक विद्यालय में एक अनिवार्य शर्त के रूप में, चार दीवार/बाड़ द्वारा विद्यालय की सुरक्षा के लिए व्यवस्थाओ सहित मिलकर एक सभी-मौसम भवन प्रदान किया जाना चाहिए।

3.18.3 विद्युतीकृत विद्यालय

एसएसए रूपरेखा के पैरा 6.4.3 के तहत प्रावधान है कि विद्यालय भवनों को विद्युतीकृत किया जाना चाहिए। चार साल की अवधि के लिए 'विद्यालय रिपोर्ट कार्ड' आंकडों का विश्लेषण नीचे सारणीबद्ध है:

तालिका 18: विद्युतीकृत विद्यालय

क्र. सं.	वर्ष	सरकारी प्रबंधन विद्यालयों की कुल सं.	विद्युतीकृत विद्यालयों की सं.	सरकारी प्रबंधन विद्युतीकृत विद्यालयों की प्रतिशतता
1.	2012-13	10,62,147	5,36,431	50.50
2.	2013-14	10,89,892	5,35,910	49.17
3.	2014-15	10,78,021	5,87,653	54.51
4.	2015-16	10,75,036	6,23,152	57.97

स्रोत: यूडीआईएसई आंकडों

यद्यपि विद्युतीकरण की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है, सरकारी प्रबंधन विद्यालयों में केवल 57.97 प्रतिशत विद्युतीकृत हैं। यद्यपि सरकार विद्यालयों में कम्प्यूटर की सहायता से सीखने पर जोर दे रही है, अधिनियम के कार्यान्वयन के छह साल बाद भी, 42.03 प्रतिशत विद्यालयों में बिजली नहीं थी जो कि लाभार्थियों को सीखने की आधुनिक तकनीकों और सरकार द्वारा परिकल्पित सीखने के एक माहौल का उपयोग करने से बाधित करती है।

एमएचआरडी ने बताया (जनवरी 2016) कि स्कूल में बाहरी विद्युतीकरण की जिम्मेदारी राज्य विद्युत बोर्ड की थी।

3.18.4 रैंपों वाले विद्यालयों की संख्या

अधिनियम के धारा 19 के नियमों के अनुसार, प्रत्येक विद्यालय में बाधा मुक्त पहुंच होनी चाहिए। विद्यालयों में रैंपों के प्रावधान के संदर्भ में पिछले चार वर्षों के 'विद्यालय रिपोर्ट कार्ड' आंकडों का विश्लेषण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 19: रैंप वाले विद्यालय

वर्ष	सरकारी विद्यालय			बिना सहायता प्राप्त विद्यालय		
	सं.	रैंप के साथ	%	सं.	रैंप के साथ	%
2012-13	10,62,147	2,05,286	19.32	353952	33,503	9.47
2013-14	10,89,892	2,57,488	23.62	344521	46,706	13.55
2014-15	10,78,021	3,92,454	36.40	354200	85,897	24.25
2015-16	10,75,036	3,80,332	35.37	360758	86,617	24.00

स्रोत: यूडीआईएसई डाटा

तालिका विद्यालयों में रैंप के प्रावधान में सुधार को दर्शाती है, लेकिन अभी भी संतोषजनक से दूर है क्योंकि 76 प्रतिशत विद्यालय अभी भी बिना रैंप के थे, जिसने सीडब्ल्यूएसएन छात्रों के शिक्षा में बाधा पहुंचायी।

एमएचआरडी ने बताया (जनवरी 2017), कि यूडीआईएस आंकड़ों के अनुसार, 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान अपेक्षित एवं रैंपों वाले विद्यालयों का प्रतिशत क्रमशः 82.33, 77.37 और 82.60 था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि धारा 19 के अनुसार, कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा, जब तक वह मानदंडों और मानकों को पूरा नहीं करते।

एमएचआरडी ने बताया (मई 2017) कि मुद्दे पर स्पष्टीकरण के लिए संबंधित राज्यों के पास मामला प्रेषित कर दिया है।

3.19 निधियों को अवरूद्ध करना

आठ राज्यों में अभिलेखों की जांच से पता चला कि विभिन्न अभिकरणों द्वारा निधियां अवरूद्ध हुई थी जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.म.	राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1	चण्डीगढ़	सरकारी मॉडल उच्च माध्यमिक स्कूल के निर्माण के लिए 2010-11 के दौरान ₹541.48 लाख की राशि (एसएसए अंश ₹257.20 लाख जमा यूटी अंश ₹284.28 लाख) जारी किया गया था। हालांकि, कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ था (अगस्त 2016) क्योंकि संशोधित साइट योजना का अनुमोदन अभी तक प्रतीक्षित था। इसके कारणवश ₹541.48 लाख की निधियां अवरूद्ध हुई थीं।
2	तेलंगाना	खम्माम जिले में 666 स्कूलों में विद्युतिकरण के लिए ₹103.91 लाख की राशि जारी की गई थी(2012-13)। हालांकि, कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई थी और मार्च 2016 तक निधियां अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।
3	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप लोक निर्माण कार्य विभाग (एलपीडब्ल्यूडी) को 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान जमा कार्य के लिए ₹2.56 करोड़ की राशि जारी की गई थी जो कि व्यर्थ पड़ी थी क्योंकि एलपीड्ब्लयूडी द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया इसलिए राशि को 2014-15 में एमएचआरडी को वापस कर दिया गया था।
4.	ओडीशा	अनुमोदन के 4 से 7 वर्षों के पश्चात् भी 135 अवसंरचनात्मक कार्य शुरू नहीं किए गए थे, जिसके कारणवश ₹5.22 करोड़ अवरूद्ध हुए थे। धन व्यर्थ पड़ा हुआ है क्योंकि स्कूलों की तैयारी में कमी थी और आवश्यकता आधारित योजना अनुपस्थित थी। जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) द्वारा सामुदायिक भागीदारी में कमी और अनुचित निगरानी भी पाए गए थे।
5.	पुडुचेरी	सिविल निर्माण कार्यों के लिए रखे गए ₹463.53 लाख में से, आठ स्कूलों में 19 कमरों के निर्माण के लिए चिन्हित ₹160.17 लाख साढ़े चार वर्षों तक अप्रयुक्त

		रहा था जिसके कारणवश ₹160.17 लाख अवरूद्ध पड़े रहे।
6.	उत्तर प्रदेश	2010-12 के दौरान, 12,542 स्कूलों में से 99 स्कूल निर्माणधीन थे। भूमि विवादों और अपर्याप्त निधियों के कारण 542 स्कूलों में निर्माण की शुरूआत नहीं हुई है जिसके कारणवश जिला परियोजना कार्यालय (डीपीओ) स्तर पर ₹38.14 करोड़ की निधियां अवरूद्ध हुई थीं।
7.	दमन एवं दीव	• दीव के कलेक्टर ने दो सरकारी माध्यमिक (लड़के एवं लड़कियों) स्कूलों को पास के सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल भवन में नवम्बर 2014 में स्थानांतरित किया था क्योंकि भवन संरचनात्मक रूप से कमजोर और असुरक्षित थे। इन भवनों के रखरखाव और मरम्मत के लिए ₹50 लाख आवंटित किए गए थे। हालांकि, जून 2016 तक इनमें कोई प्रगति नहीं हुई थीं। • 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान, एसएसए के अंतर्गत तीन स्कूल भवनों के निर्माण के लिए ₹79.50 लाख का पूंजीगत अनुदान संस्वीकृत किया गया था जिसका उपयोग जून 2016 तक नहीं किया गया था।
8	नागालैण्ड	2012-13 के दौरान, पीएबी ने 97 नए सरकारी प्रारंभिक स्कूल (जीपीएस) (₹28.11 करोड़) का निर्माण और 41 सरकारी माध्यमिक स्कूल (जीएमएस) (₹14.43 करोड़) में सुधार अनुमोदित किया था। हालांकि, निर्माण कार्यों की शुरूआत नहीं हुई थी और इन अनुमोदित स्कूलों के लिए कोई व्यय नहीं किया गया था जिसके कारणवश ₹42.54 करोड़ की निधि अवरूद्ध हुई थी।

3.20 अधिप्रापण में अनियमितताएँ

3.20.1 फर्नीचर के अधिप्रापण पर ₹80.44 लाख का अनियमित भुगतान

डीपीसी, सुरगुजा, छत्तीसगढ़ ने यूपीएस के लिए 7,495 मेज़ों और बैंचों की आपूर्ति के लिए 10 फर्मों को ₹2.35 करोड़ की कीमत के आपूर्ति आदेश दिए

(फरवरी 2011) थे और ₹2.70 करोड़ का भुगतान किया था। 2011 के दौरान अग्रिम भुगतान किया गया था। भुगतान में ₹34.58 लाख की राशि का मूल्य वर्धित कर (वैट) शामिल था जिसे वैट अधिनियम की धारा 27 के प्रावधान के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं के बिलों से रोका जाना था और सरकारी खाते में जमा किया जाना था। संबंधित फर्मों ने सरकारी खाते में वैट की राशि जमा नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, चार फर्मों ने ₹45.86 लाख की कीमत के 2,532 मेजों और बैंचों की आपूर्ति नहीं की थी (जुलाई 2016)। गैर-आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी (जुलाई 2016)।

इस प्रकार, डीपीसी, सुरगुजा ने फर्नीचर के प्रापण पर ₹80.44 लाख का अनियमित भुगतान किया था।

3.20.2 छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और दिल्ली में कम्प्यूटरों/सहायक उपकरणों के अधिप्रापण में अनियमितताएं

(i) लार्ज फॉर्मेट डिस्प्ले (एलएफडी) कम्प्यूटरों के साथ कम्प्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम (सीएएल) के अंतर्गत 288 यूपीएस के लिए सीएएल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 18 जिलों को पीएबी ने ₹9.00 करोड़ संस्वीकृत किए थे (अक्तूबर 2010)।

₹3.29 करोड़ की कुल लागत पर स्कूलों के लिए 246 कम्प्यूटर उपकरणों की आपूर्ति के लिए महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान (डीजीएस एवं डी) अनुबंध दर के अंतर्गत पंजीकृत फर्म को राजीव गांधी शिक्षा मिशन (आरजीएसएम) द्वारा आपूर्ति आदेश जारी किया गया था (अक्तूबर 2010)। लेखापरीक्षा ने पाया कि उपकरणों की आपूर्ति अन्य फर्म द्वारा की गई थी जोकि डीजीएस एवं डी अनुबंध दर के अंतर्गत पंजीकृत नहीं थी और फर्म को ₹3.29 करोड़ का भुगतान भी जारी कर दिया गया था। इस प्रकार, ₹3.29 करोड़ का कम्प्यूटर उपकरण का प्रापण अनियमित था।

आरजीएसएम निदेशक ने बताया (मई 2016) कि दूसरी फर्म प्रथम फर्म का प्राधिकृत विक्रेता थी जिसे आपूर्ति आदेश दिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि आरजीएसएम ने प्रथम फर्म के साथ अनुबंध समाप्त किए बिना दूसरी पार्टी को आपूर्ति आदेश जारी कर दिया था। इसके अलावा, द्वितीय फर्म डीजीएस एवं डी के अंतर्गत पैनल में भी नहीं थी।

(ii) त्रिपुरा में एसएसए की अभिनव गतिविधियों के अंतर्गत सीएएल कार्यक्रम के लिए 2011-12 के दौरान पीएबी ने ₹1.85 करोड़ अनुमोदित किए थे। तदनुसार, एमएचआरडी ने मार्च 2012 में राज्य शिक्षा मिशन, त्रिपुरा को ₹1.85 करोड़ प्रदान किए थे। राज्य शिक्षा मिशन ने केन्द्रीय रूप से ₹59.33 लाख (5 वर्षों के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए ₹5.82 लाख सहित) के 160 कम्प्यूटर सेटों का प्रापण किया था और मई 2013 में आठ ब्लॉक संसाधन समन्वयकों (बीआरसी)/शहरी संसाधन समन्वयन (यूआरसी) में संवितरित किए गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि उत्तर त्रिपुरा जिले के अंतर्गत गौरनगर, बीआरसी में एक बैच के अलावा बीआरसी/यूआरसी द्वारा कोई कम्प्यूटर प्रशिक्षण नही संचालित किया गया था। कम्प्यूटरों में से 26 का उपयोग आईएस/डीईओ बीआरसी आदि के कार्यालय में किया जा रहा था, 22 गैर-कार्यात्मक हो चुके थे और मार्च 2013 से बीआरसी/यूआरसी के पास 112 व्यर्थ पड़े हुए थे जैसाकि उपरोक्त चित्र में दशार्या गया है। कम्प्यूटरों का प्रयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था जिसके लिए उसका प्रापण किया गया था और परिणामस्वरूप अध्यापकों को अभिनव प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अभिप्रेत लाभ अपूर्ण रहें थे।

चित्र 5 सीपीयू का ढ़ेर और अप्रयुक्त व्यर्थ पडे

(iii) 2010-16 के दौरान, प्रारंभिक शिक्षा की सार्वभौमिकता मिशन (यूईईएम), दिल्ली ने सीएएल गतिविधियों अर्थात् स्कूलों की अवसंरचना तकनीक सहायता, हार्डवेयर/साफ्टवेयर सीएएल सामग्री के विकास, तकनीकी कर्मियों, प्रोग्रामरों एवं विशेषज्ञों, आदि के लिए ₹20.84 करोड़ का कुल प्रावधान किया गया था, जिसमें से केवल ₹7.01 करोड़ का उपयोग किया गया था, मार्च 2016 तक ₹13.83 करोड़ अनुप्रयुक्त रहा था जोकि कुल बजट का 66 प्रतिशत था।

एमएचआरडी ने बताया (मई 2017) कि मुद्दे पर स्पष्टीकरण के लिए संबंधित राज्यों के पास मामला प्रेषित कर दिया है।

3.21 विद्यालयों के संचालन में अनियमितताओं के मामले

- एक यूपीएस अर्थात गोलगांव जू. हाई स्कूल, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल यद्यपि, 2015-16 के दौरान कार्यात्मक दिखाया गया, लेखापरीक्षा के निरीक्षण के दौरान बंद पाया गया था। सत्यापन पर, यह सूचित किया गया था कि शिक्षकों की तैनाती न होने के कारण दिसंबर 2013 के बाद से स्कूल बंद कर दिया गया था। गांव (गोलगांव) के पास 6 से 7 किलोमीटर के भीतर कोई यूपीएस नहीं था। अतः, कानूनी तौर पर उस गांव के पास के विद्यालय के पात्र छात्रों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी नहीं दी गई थी।

- खीखीर्तोला एफ.पी. विद्यालय, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल एक उर्दू माध्यम विद्यालय है। लेकिन, पिछले पांच वर्षों से उर्दू शिक्षक इस विद्यालय में उपलब्ध नहीं था, यहां तक कि पिछले पांच वर्षों से उर्दू लिपी की किताबें भी स्कूल में उपलब्ध नहीं कराई जा सकीं। स्कूल के प्रभारी शिक्षक ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में शिक्षक की कमी के कारण तथा अच्छी स्थिति में कक्षा के कमरे की अनुपलब्धता के कारण भी विद्यालय में कक्षाएं आयोजित नहीं की गईं। यद्यपि, स्कूल के दौरान केवल मध्यांतर भोजन परोसा जा रहा था।

3.22 यूडीआईएसई एवं राज्य (यों) के डाटा के बीच अंतर

पांच हस्तक्षेपों के लिए राज्यों में नमूना-जांच की गई विद्यालयों के लेखापरीक्षा के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों की तुलना यूडीआईएसई से संबंधित डाटा से की गई थी। सूचना में अंतर नीचे सारणीबद्ध है।

तालिका 20: यूडीआईएसई एवं राज्य (यों) के डाटा में अंतर

(प्रतिशत)

राज्य	जिले का नाम	विद्यालय भवन का प्रतिशत		बाधा रहित पहुंच		लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग शौचालय		सभी बच्चों को सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल सुविधा		विद्यालय भवन दीवार तथा बाड़ें की सुरक्षा	
		ए	बी	ए	बी	ए	बी	ए	बी	ए	बी
असम	लखीमपुर	40.66	82.71	26.00	40.00	43.33	79.17	50.00	81.65	33.33	23.09
	कोकराझार	-	-	36.66	39.32	60.00	58.25	33.33	52.51	30.00	11.61
	ढ़ुबरी	-	-	33.33	17.69	33.33	83.00	33.33	88.48	16.66	10.83
	डारंग	-	-	23.33	16.88	50.00	42.92	20.00	42.55	3.33	16.01
गोवा	दक्षिण गोवा	100	100	53.33	21.96	100	100	100	100	76.66	73.41
	उत्तर गोवा	100	100	56.66	43.61	99.9	98.56	100	100	80	81.20

बिहार	जमुई	89.65	91.84	79.31	30.99	62.06	94.33	75.86	86.00	55.17	36.71
	मधुबनी	92.59	92.59	0.00	15.28	33.33	100.00	70.37	95.05	25.92	59.21
	मोतीहारी	96.55	81.78	86.20	20.78	79.31	74.42	93.16	87.53	37.93	47.94
	मुंगेर	78.57	89.10	10.71	4.10	25.00	98.99	35.71	99.74	35.71	57.25
	नालंदा	82.14	97.67	67.85	15.84	53.57	92.43	67.85	93.19	39.28	59.15
	पटना	78.57	93.36	3.57	20.09	64.28	97.85	82.14	95.99	28.57	59.59
राजस्थान	बाड़मेर	100	98.66	65.00	45.44	90.00	99.88	95.00	97.19	60.00	79.19
	झुनझुनु	100	98.77	100	39.64	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	91.03
	राजमसंद	100	100	70.00	34.32	90.00	100.00	85.00	99.80	55.00	77.90
	सीकर	100	99.33	100	26.39	100	100	95.00	97.72	65.00	88.13
	उदयपुर	95.00	100	85.00	19.52	95.00	99.00	95.00	94.54	65.00	67.65
यूपी	सोनभद्र	100	100	3.66	7.15	80.00	100	66.66	94.23	70.00	95.31
	सुल्तानपुर	100	100	20.00	22.18	53.33	97.13	56.66	94.68	40.00	49.67
	उन्नाव	100	100	31.04	18.46	51.72	99.81	48.27	99.48	24.14	71.66
	बहराईच	100	99.68	30.00	47.75	70.00	99.88	70.00	97.57	46.66	53.01
	गोरखपुर	100	100	18.75	9.15	37.50	99.80	37.50	98.95	12.50	41.33
	महराजगंज	100	100	26.66	9.94	66.66	100.00	80.00	99.03	50.00	43.44
	लखीमपुर	100	99.79	43.33	67.18	83.33	99.79	93.33	98.57	43.33	53.56
	कानपुर देहात	100	99.95	44.83	12.36	72.41	99.65	82.75	99.90	62.06	62.16
	फर्रूखाबाद	100	100	25.00	32.73	46.42	99.73	57.14	98.17	50.00	55.91
पुडुचेरी	पुडुचेरी	90.00	100	30.00	75.88	100	100	100	100	100	96.15
	करईकाल	83.33	100	20.00	43.26	93.33	93.26	96.66	100	93.33	94.68
तमिलनाडु	विरूधुनगर	100	99.80	100	5.42	100	99.21	86.66	100	43.33	66.86
	त्रिची	100	100.00	100	47.67	90.00	98.95	100	100	23.33	67.64
	तिरूवरूर	96.66	99.57	86.66	83.35	90.00	99.04	100	100	53.33	83.56
	विल्लुपुरम	100	99.90	86.66	47.76	90.00	99.03	96.66	100	36.66	65.63
अरूणाचल प्रदेश	पूर्वी सियांग	100	99.38	0.00	6.74	40.00	100.00	50.00	93.25	70.00	73.00
	पश्चिम सियांग	100	100	0.00	-	75.00	94.04	60.71	80.95	57.14	40.87
छत्तीसगढ़	धमतारी	100	99.44	100	52.76	76.66	100.00	86.66	99.58	60.00	69.54
	रायपुर	100	99.12	100	61.99	73.33	100.00	93.33	99.85	86.66	88.37
	राजनंदगांव	100	99.26	100	37.10	80.00	100.00	93.33	99.12	33.33	61.98
	सुरगुजा	100	99.84	100	53.00	93.33	100.00	96.66	99.94	46.66	44.68
गुजरात	भरूच	100	100	90.00	56.55	90.00	94.97	93.33	100.00	90.00	96.31
	कच्छ	100	100	80.00	51.57	100	94.68	86.66	100.00	90.00	89.68
	महिसागर	100	100	80.00	32.10	93.33	100.00	93.33	100.00	76.66	84.18
	नर्मदा	100	100	86.66	33.38	83.33	99.22	80.00	99.95	76.66	90.20
	सूरत	100	100	90.00	45.14	90.00	94.07	90.00	100.00	96.66	95.39
झारखंड़	देवघर	100	99.90	60.71	32.67	85.71	99.39	78.57	98.47	60.71	41.24
	गिरीड़ीह	100	99.68	51.72	26.70	86.21	99.31	83.76	95.71	2.69	11.74
	पाकुड़	100	99.90	37.04	21.33	74.07	99.42	85.19	90.76	25.93	15.04
	सिमडेगा	100	99.89	83.33	13.52	93.33	90.04	70.00	88.96	26.67	14.61
लक्षद्वीप	लक्षद्वीप	100	100	100	37.77	100	100	100	100	66.66	57.77
नागालैंड	दीमापुर	100	98.32	83.33	26.75	80.00	100	46.66	78.26	16.66	39.46
	मोन जिला	100	100	90.00	72.72	70.00	100	33.33	82.25	26.66	48.05
त्रिपुरा	ढ़लाई	93.33	100	80	7.92	73.33	100	70.00	71.78	8.00	11.40
	उत्तर त्रिपुरा	96.66	100	76.66	22.97	73.33	100.00	70.00	90.99	23.33	16.21
उत्तराखंड	टेहरी गढ़वाल		99.24	100		80.00	93.42	76.66	93.65	56.66	65.36
	उधमसिंह नगर		98.86	96.66		76.66	92.65	83.33	98.86	70.00	90.28

हरियाणा	कैथल	100	100	90.00	30.51	86.66	91.70	100	100.00	80.00	97.84
	पानीपत	100	98.12	86.66	30.21	90.00	92.50	73.33	98.67	93.33	97.65
	फतेहाबाद	100	100	63.33	23.26	93.33	93.67	83.33	100.00	86.66	99.05

स्रोत: राज्य प्रतिवेदनों से संकलित डाटा (ए- राज्य, बी - यूडीआईएसई)

तालिका से पता चला कि:

- लखीमपुर, असम को छोड़कर भवनों वाले विद्यालयों के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा संकलित राज्य डाटा और यूडीआईएसई डाटा में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है।
- विद्यालयों में बाधा-मुक्त पहुंच के प्रावधान के लिए लगभग सभी राज्यों के सभी जिलों में बदलाव देखा गया है।
- लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालयों के बारे में, जबकि यूडीआईएसई ने एक संतोषजनक स्थिति का चित्रण किया था, लेखापरीक्षा द्वारा संकलित राज्य डाटा स्पष्ट विचलन दर्शाते हैं।
- शेष दो हस्तक्षेपों में, एक मिश्रित प्रवृत्ति थी। कुछ जिलों में एक व्यापक विविधता थी और कुछ जिलों में राज्य के डाटा यूडीआईएसई आंकड़ों के साथ मिल गए थे।

इसके अतिरिक्त, विद्यालय रिपोर्ट कार्ड डाटा (41 संकेतक) को कर्नाटक के 5 चयनित जिलों के 150 नमूना-जांच वाले विद्यालयों में सुविधाओं के प्रत्यक्ष सत्यापन के माध्यम से सत्यापित किया गया था और विद्यालय रिपोर्ट कार्ड डाटा और संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन डाटा के बीच पाई गई भिन्नता पाई गई। विवरण **परिशिष्ट-VIक** में शामिल किया गया **है**। इसी तरह, ओडिशा के 150 नमूना विद्यालयों में लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि स्कूलों में बुनियादी ढांचे की वास्तविक स्थिति यूडीआईएसई डाटा से मेल नहीं खाती। विवरण **परिशिष्ट-VIख** में शामिल किया गया है।

यूडीआईएसई आंकड़ों में विविधता से संकेत मिलता है कि डाटा लेने और उनकी वैधता में कमी थी। यूडीआईएसई डाटा प्रवेश, वैधता, सत्यापन और नमूना जांच को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

3.23 लेखापरीक्षा द्वारा पाये गये अच्छे कार्य

लेखापरीक्षा ने संतोषजनक प्रदर्शन या लक्ष्य को पूरा करने में बाधा देने वाले कारकों की पहचान की है। उद्देश्यों को बढ़ाने के लिए कुछ अच्छे कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है:

(i) कर्नाटक में, सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रमों, जैसे, थेइंदिरा मेला, डाकालाथी आंदोलना और विशेषा डाकालाथी आंदोलना के माध्यम से हर साल नामांकन बढ़ाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई थी।

(ii) केरल के ब्लॉक संसाधन केंद्र, वेल्लंगल्लूर, त्रिशूर जिले में मार्च, 2015 से एक नोट बुक उत्पादन ईकाई शुरू की गई थी ताकि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की माताओं के लिए स्वयं-रोजगार की सुविधा मिल सके। ब्लॉक पंचायत ने 'कटाई' और 'स्टेपलर' मशीनों के साथ ईकाईं प्रदान की थी। बीआरसी वेल्लंगलल्लुर ने इन माताओं को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया। पुण्यम नामक इकाई में एक पंजीकृत सोसाइटी ने विनिर्माण इकाई में बीआरसी, वेल्लंगल्लूर के अंतर्गत 5 पंचायतों में विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे बच्चों की माताओं के खाली समय का उपयोग किया। इस प्रकार, माताएं अपने बच्चों के साथ-साथ अपने घर के कार्यों में बाधा डाले बिना अपनी सुविधानुसार समय निकाल कर आय अर्जित कर सकती हैं।

चित्र 6: नोट बुक उत्पादन इकाईं

3.24 निष्कर्ष

प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच एक विशेषाधिकार नहीं है, यह कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार है और फिर भी, कई बच्चे अभी भी स्कूल में नहीं हैं। प्रारंभिक शिक्षा के लिए पात्र बच्चों की संख्या उपयुक्त सरकार के

अंतर्गत स्थानीय अधिकारियों द्वारा घरों के सर्वेक्षणों के माध्यम से अनुरक्षित और अद्यतन नहीं किया जा रहा है। यूडीआईएसई डाटा में लिया गया डाटा/अनुमान के संदर्भ में असंगतता है और लिया गया डाटा उचित स्तरों पर मान्य नहीं है। 14 वर्ष की आयु से अधिक के बच्चों को अधिनियम के उल्लंघन में प्रारंभिक कक्षाओं में रखा गया था। अधिनियम के कार्यान्वयन के छह वर्षों के बाद भी विद्यालय मान्यता के बिना चल रहे थे। राज्यों में प्रतिकूल पीटीआर का पता चला जिसने अधिनियम के प्रावधान के साथ समकालीन बनाने के लिए शिक्षकों के खराब संग्रहण को दर्शाया। उच्चतम न्यायलय के आदेशों के उल्लंघन में गैर-शैक्षिक उद्देश्यों में शिक्षकों की तैनाती ने शिक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता किया। तीन वर्ष (मार्च 2013) की समय सीमा के भीतर विद्यालयों के लिए निर्धारित अवसंरचना के प्रावधान अभी भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

3.25 अनुशंसाएं

हम अनुशंसा करते हैं कि:

i. राज्य सरकारें राज्यों में योग्य बच्चों की पहचान करने के लिए घरेलू सर्वेक्षण करवाएं और सभी पात्र बच्चों को प्रावधान के अंतर्गत अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करें।

ii. अधिनियम के उद्देश्य के अनुसार, सभी योग्य बच्चों के नामांकन में स्कूल अथवा विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या को समाप्त करने के लिए विशिष्ट कदम उठाए जा सकते हैं।

iii. उपयुक्त सरकार, विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता का पुनः-मूल्यांकन कर सकती है और अध्यापकों की कमी/अधिक होने की संभावना को कम करने के लिए शिक्षकों की तैनाती के लिए एक रोडमैप विकसित कर सकती है, क्योंकि बच्चों को प्रासंगिक और उपयोगी शिक्षा प्रदान करना शिक्षकों की उपलब्धता पर निर्भर है।

iv. उपयुक्त सरकार नियमित रूप से मुफ्त पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति और वितरण की समीक्षा कर सकती है।

v. यह सुनिश्चित करने के लिए कि लक्षित विद्यालयों/छात्रों तक पुस्तकें/यूनिफार्म पहुंचे, इनका उचित लेखाकरण तथा खरीद/वितरण को और सुव्यवस्थित करना चाहिए।

vi. आरटीई रोडमैप के अनुसार, आधारभूत आवश्यकताओं को तुरंत उपलब्ध कराया जा सकता है।